


भारतीय राष्ट्रवाद बनाम गिरमिट प्रथा

सौ वर्ष पूरे होने पर एक पड़ताल

आशुतोष कुमार

उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशक में पूर्णनाम ले जाने के लिए जहाज पर भारत के गिरमिटिया मजदूर
सौजन्य से : रॉयल ट्रेडिंकल इंस्टीट्यूट, नीदरलैंड



भारत सरकार प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। प्रवासी भारतीयों अर्थात् समुद्रपार के विभिन्न देशों में बसे भारतीयों का शुरुआती इतिहास समझने के लिए हमें औपनिवेशिक काल की प्रवास नीति को समझना होगा। उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक में जब ब्रिटिश संसद ने अपने साम्राज्य में दास-प्रथा को ग़ैर-क्रान्ती घोषित कर दिया तब दुनिया के विभिन्न टापुओं और देशों में स्थापित पूँजीवादी बागानों में मज़दूरों की घोर कमी महसूस होने लगी। दासता के उन्मूलन ने बागानी व्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ दिया। फलतः अंग्रेज़ पूँजीपति बागान मालिकों ने मज़दूर आपूर्ति की एक वैकल्पिक व्यवस्था की खोज शुरू की। इसी क्रम में उनका ध्यान भारत की ओर गया जहाँ सस्ते कृषक मज़दूर उपलब्ध थे और जिन्हें गन्ना उत्पादन की अच्छी जानकारी भी थी। इस तरह 1834 में शर्तबंदी मज़दूरी प्रथा अर्थात् कुली प्रथा की शुरुआत हुई। शर्तबंदी के तहत जाने वाले मज़दूरों ने इसे 'गिरमिट' का नाम दिया और 'गिरमिट' प्रथा के तहत जाने वाले प्रवासी मज़दूर 'गिरमितिया' कहलाए।¹ 1834 से 1917 के बीच तेरह लाख से भी ज़्यादा भारतीय किसान मॉरिशस, त्रिनिडाड, गयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, फ़ीजी आदि द्वीपों में गन्ना उत्पादन के लिए गये। शर्तबंदी के मुताबिक उन्हें बागानों में पाँच वर्ष तक काम करना था और अन्य पाँच वर्ष तक औद्योगिक मज़दूर के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने के बाद निःशुल्क भारत लौट आने की सुविधा दी गयी थी। अनुबंध समाप्ति के बाद कुछ मज़दूर भारत लौट आये किंतु बहुसंख्य लोगों ने वहीं रह कर एक नये जीवन की शुरुआत की। आज प्रवासी भारतीयों का एक विशाल वर्ग उन्हीं गिरमितिया भारतीयों के वंशज हैं।

गिरमिट प्रथा 1834 में शुरू हुई और एक बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन के पश्चात् मार्च, 1917 में खत्म हो गयी। इसकी समाप्ति के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर उस परिघटना को याद करता हुआ यह लेख उस राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति की पड़ताल करता है। 1830 के दशक के शुरुआत में गिरमिट प्रथा के आरम्भ के साथ ही इसके खिलाफ़ गोलबंदी भी शुरू हो गयी थी। मानववादियों और ब्रिटिश दास-प्रथा विरोधियों ने इसकी मुखालफ़त करते हुए इसे दास प्रथा का ही नया अवतार बताया। ये लोग 1870 के दशक तक लगातार इसका विरोध करते रहे लेकिन इनके विरोध के बावजूद गिरमिट प्रथा थोड़े बहुत संशोधनों के साथ चलती रही। किंतु बीसवीं सदी के पहले दशक से भारतीय राष्ट्रवादी भी गिरमिट प्रथा के बहाने औपनिवेशिक शासन की आलोचना करते हुए इसके उन्मूलन के लिए आंदोलन करने लगे। इस लेख में गिरमिट या प्रवास पर आधारित राष्ट्रवादी विमर्श की पड़ताल की गयी है तथा इसमें निहित उपनिवेश विरोधी आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के वर्ग और जाति आधारित पूर्वग्रहों को भी खोजा गया है। इस लेख में यह बताया गया है कि बीसवीं सदी के प्रथम दशक से पहले भारतीय गिरमितियाओं का सवाल राष्ट्रवादी विमर्श का मुख्य सरोकार नहीं था और बीसवीं सदी के दूसरे दशक में ही यह एक सार्थक आंदोलन के रूप में उभर सका। इस लेख में गिरमिट प्रथा विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप-रंग की बारीक पड़ताल की गयी है। गिरमितिया प्रवास के खिलाफ़ लड़ने का राष्ट्रवादी आंदोलन का सार्वजनिक दावा, गिरमितियाओं के सवाल का व्यापक उपनिवेश विरोधी एजेंडे में समावेश और गिरमितिया प्रवास विरोधी आंदोलन में स्त्रियों की केंद्रीयता के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि इस प्रथा की शोषक प्रवृत्तियों का विरोध राष्ट्रवादी विमर्श का गौण सरोकार था। दरअसल, उसने अपनी व्यापक राजनीतिक जरूरतों के लिए इस प्रश्न का इस्तेमाल किया।

दक्षिण अफ्रीका और प्रवासी भारतीय

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का गिरमिट विरोधी अभियान का पूर्व इतिहास दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अनुभव से जुड़ा था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जहाँ बड़ी संख्या में गिरमितिया

¹ 'गिरमिट' शब्द अंग्रेज़ी के एग्रिमेंट का भोजपुरीकरण है। शर्तबंदी के तहत होने वाले एग्रिमेंट को ही अनपढ़ मज़दूर किसानों ने गिरमिट कह दिया और इसके तहत जाने वाले प्रवासी 'गिरमितिया' कहलाए। यद्यपि गिरमितिया शब्द का प्रयोग फ़ीजी प्रवासियों द्वारा ही किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों से गिरमिट तथा गिरमितिया शब्द का प्रयोग शर्तबंदी प्रथा तथा उसके अधीन दुनिया के अनेक द्वीपों में जाने वाले सभी प्रवासी भारतीय मज़दूरों के लिए किया जा रहा है।

मजदूरों, भारतीय व्यापारियों व व्यवसायियों ने प्रवास किया था। इन व्यापारियों में अधिसंख्य गुजरात, बम्बई और मद्रास के थे। इनमें दुकानदार और फेरीवाले से लेकर अमीर सौदागर तक सभी सम्मिलित थे।² इन स्वतंत्र व्यवसायियों ने अपने हमवतन गिरमिटिया मजदूरों से कोई संबंध नहीं स्थापित किया। अपने गिरमिटिया मजदूर भाइयों की विकट परिस्थिति से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे खुद को उन मजदूरों से श्रेष्ठ समझते थे।³

दक्षिण अफ्रीका के इन स्वतंत्र भारतीय व्यापारी समुदाय को पहला राजनीतिक झटका तब 1894 में लगा जब नटाल की विधायिका ने इन भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का क़ानून पास कर दिया। मोहनदास करमचंद गाँधी उस समय एक गुजराती व्यापारी की क़ानूनी मामलों में सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही थे। उन्होंने इस नये क़ानून के खिलाफ़ लड़ने का मन बनाया। गाँधी लिखते हैं कि उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ़ लड़ने के लिए नटाल इण्डियन कांग्रेस की स्थापना की और दस हजार लोगों के हस्ताक्षर वाला एक आवेदन लंदन में उपनिवेश मामलों के सचिव लॉर्ड रिपन के पास भेजा जिन्होंने अंततः नटाल की विधायिका द्वारा पारित भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले क़ानून को ख़ारिज कर दिया।⁴ नटाल इण्डियन कांग्रेस मुख्य रूप से अनानुबंधित भारतीय व्यापारियों के हितों से सरोकार रखती थी क्योंकि मताधिकार से वंचित करने वाला क़ानून इन्हीं के हितों को प्रभावित करता था।⁵

गाँधी के आंदोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ़ होने वाले भेद भाव के मुद्दे को उठाया। नटाल की विधायिका में भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले क़ानून के पास होने के तत्काल बाद 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके खिलाफ़ प्रस्ताव पास किया। 1895 में पुणे कांग्रेस में बोलते हुए परमेश्वरम पिल्लै ने कहा :

सबको 'कुली प्रवासी' का दर्जा देकर नटाल की सरकार ने भारतीयों के विभिन्न वर्गों में अंतर नहीं किया ... हमारे बहुत से भाई, जो धन और मतदान की क़ाबिलियत में श्वेतों के बराबर हैं, को मताधिकार से वंचित कर उन्हें और भी अशक्त सिर्फ़ इस कारण से बना दिया गया कि कुछ भारतीयों को वहाँ कुली का काम करना पड़ता है।⁶

पिल्लै और दूसरे शुरुआती राष्ट्रवादी गिरमिटिया मजदूरों की परिस्थितियों से दुखी नहीं थे, बल्कि उनकी दिक्कत यह थी कि सम्भ्रांत, अमीर और स्वतंत्र भारतीयों के साथ भी कुली का काम करने वालों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा सुधार पर ध्यान देने के बजाय 'भारतीय कुलियों' को ही समस्या के रूप में देखा गया। क्योंकि उनके अनुसार इन कुली भारतीयों के कारण ही स्वतंत्र भारतीय व्यवसायियों और मध्यवर्ग के प्रवासियों को दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक क्षितिज पर वैसा ही निकृष्ट व्यवहार और प्रतिबंध झेलना पड़ रहा था। अतः भले ही यह क़ानून व्यापारी भारतीय समुदाय के खिलाफ़ नस्ली दुराग्रह से युक्त था, लेकिन इसका विरोध जिस आधार पर किया गया उसमें प्रवासी भारतीय समुदायों में विद्यमान जाति और हैसियत संबंधी ऊँच-नीच की भावना गहराई से पैठी हुई थी।

² एम.के.गाँधी (1927) : 93 -102.

³ सुरेंद्र भाना (1991) : 116.

⁴ एम.के.गाँधी (1924/2009) : 53-55.

⁵ गाँधी ने अपनी किताब में कहा है कि नटाल इण्डियन कांग्रेस का गठन नटाल विधायिका के उस क़ानून के खिलाफ़ किया गया था जिसने भारतीय व्यापारियों को उस किसी भी राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया था और इस संगठन का भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों से संबंध नहीं था. इस क़ानून ने नटाल के सभी अनानुबंधित भारतीयों को प्रभावित किया था. देखें, वही; सुरेंद्र भाना (1991), वही.

⁶ परमेश्वरम पिल्लै (1896) : 106-7. जोर मेरा.

1896 में भारत यात्रा के दौरान गाँधी, ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ भाषण दिया तथा उसी साल बम्बई की एक सभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि, 'यूरोपीय आम सहमति के मुताबिक बिना किसी अपवाद के सभी भारतीय कुली हैं।' उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा, 'दुकानदार 'कुली दुकानदार' हैं। भारतीय क्लर्क और स्कूल मास्टर क्रमशः 'कुली क्लर्क' और 'कुली स्कूल मास्टर' हैं। स्वाभाविक रूप से न तो व्यापारी से और न ही अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय से अच्छा व्यवहार किया जाता है।' ⁷ इसी तरह मद्रास की एक सभा में उन्होंने कहा 'बिना किसी अपवाद के सभी भारतीयों को घृणापूर्वक कुली कहा जाता है'। ⁸ गाँधी तथा दूसरे राष्ट्रवादी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को नस्लवाद के रूप में देखते थे लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वे लोग जाति और वर्ग के अपने पूर्वग्रहों से मुक्त हो गये थे। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति होने वाले नस्ली भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए स्वयं गाँधी ने जो तर्क दिया वह सम्भ्रांत और सवर्ण आग्रह से युक्त है :

महानुभावो, यूरोपीय उपनिवेशवादियों के भारत विरोधी व्यवहार में निहित भारत विरोधी भावना के खिलाफ पूरे दक्षिण अफ्रीका में शिकायत का स्वर उठा है। शिकायत की दूसरी श्रेणी का कारण दक्षिण अफ्रीका के चारों उपनिवेशों में लागू भारत विरोधी विधान में निहित भारत विरोधी भावना है। शिकायत की पहली श्रेणी का उदाहरण यह है कि सभी भारतीयों को, चाहे वो कोई भी हो, कुली का दर्जा दे दिया गया है। यदि हमारे आदरणीय अध्यक्ष (दिनशा वाचा) को भी दक्षिण अफ्रीका जाना हो तो मुझे डर है कि उन्हें भी कुली का दर्जा दे दिया जाएगा। ⁹

अतः भारतीय राष्ट्रवादी जब अनानुबंधित भारतीय व्यापारिक समुदाय के खिलाफ नटाल सरकार के कानून को नस्लवादी बता कर विरोध कर रहे थे, उसी समय वे गिरमिटिया और अनानुबंधित भारतीयों के बीच भेद भी कर रहे थे और हैसियत के हिसाब से दूसरे को पहले से उच्चतर मान रहे थे। इस प्रकार यद्यपि 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन में गिरमिटिया भारतीयों का मुद्दा पुनः सामने आया और 1904 से दक्षिण अफ्रीका के अलावा दूसरे क्षेत्रों के गिरमिटिया मजदूरों का मुद्दा भी कांग्रेस की कार्यवाही का हिस्सा बनने लगा, लेकिन बीसवीं सदी के पहले दशक तक गिरमिटि प्रथा तथा गिरमिटिया मजदूरों की समस्याएँ उनका मुख्य सरोकार नहीं बन सकीं। इसके पहले स्वतंत्र भारतीय व्यवसायी समुदाय के प्रति होने वाला भेदभाव ही गाँधी और दूसरे राष्ट्रवादियों की आलोचना का मुख्य केंद्र था। गाँधी व अन्य राष्ट्रवादियों की आलोचना में गिरमिटिया मजदूरों या 'कुलियों' का जिक्र स्वतंत्र व्यापारी भारतीय समुदाय की निम्नतर हैसियत को संदर्भ प्रदान करने हेतु ही आया। वहाँ इस बात पर बल दिया गया कि कुली भारतीयों के हमवतन होने के कारण ही स्वतंत्र भारतीय व्यापारी समुदाय को भी निम्न दृष्टि से देखा गया। तभी इस समय गाँधी और दूसरे भारतीय राष्ट्रवादियों ने सभी भारतीयों को एक ही वर्ग के रूप में देखने की अफ्रीकी श्वेतों की सांस्थानिक प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की। जब गाँधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी भारतीयों के लिए बराबरी के सुलूक की सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने समझौते के लिए दूसरे रास्ते खोजे। उन्होंने सोचा कि यदि गिरमिटिया मजदूरों की आवक को रोका जा सके तो नटाल की समृद्धि घटने लगेगी और इससे अधिकारी समझौतापरक रुख अपनाने के लिए विवश हो जाएँगे। 1905 में जब वे एक सीमित प्रयास में ऐसा करने में विफल हो गये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर भारत सरकार और ब्रितानी सरकार से नटाल के लिए गिरमिटिया मजदूरों की भर्ती रोकने को कहा।

⁷ क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी (आगे से सीडब्ल्यूएमजी), खण्ड 2 : 409, 'स्पीच एट बॉम्बे ऑन 26-09-1896'.

⁸ वही : 428, 'स्पीच एट मद्रास ऑन 26.10.1896'.

⁹ सीडब्ल्यूएमजी, खण्ड 11, 1897-1902, 'स्पीच एट कलकत्ता कांग्रेस' : 429. इसके अलावा देखें, रिपोर्ट ऑफ सेवेंटीथ आल इण्डियन नेशनल कांग्रेस (आगे से एआईएनसी), कलकत्ता, 1901.

इसी बीच 1906 में गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इतिहास-लेखन की प्रभुत्वशाली धारा के मुताबिक गाँधी के आंदोलन का लक्ष्य घृणित गिरमिटिया प्रथा का उन्मूलन था। ह्यूग टिंकर का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में गाँधी का आंदोलन भारतीयों की स्थिति को बेहतर करने के लिए था, विशेष रूप से गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, और गाँधी ही थे जिन्होंने गिरमिट प्रथा पर सवाल उठाया। टिंकर के अनुसार, 'गाँधी दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवासी हमवतनों की समस्या को राजनीतिक रूप से सचेत भारतीयों के मन में एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में उभारने में सफल हो गये।'¹⁰ वे आगे कहते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गाँधी ने अपनी पोशाक भी बदल दी थी ताकि वे गिरमिटिया मजदूर की तरह दिख सकें।¹¹ लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गाँधी के सत्याग्रह के बारे में थोड़ा-सा सचेत अध्ययन करते ही दूसरे निष्कर्ष सामने आते हैं। 1906-13 के दौरान गाँधी ने अपने आंदोलन को कुछ खास मुद्दों पर केंद्रित किया—जैसे प्रत्येक अनानुबंधित भारतीय के लिए तीन पौंड का सालाना लाइसेंस टैक्स, भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाने या बसने को प्रतिबंधित करने वाला क़ानून और भारतीयों के पारम्परिक शादियों को राज्य द्वारा मान्यता न देना।

यद्यपि दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बनाए इन क़ानूनों के खिलाफ़ गाँधी के आंदोलन का अप्रत्यक्ष संबंध गिरमिटिया मजदूरों की समस्याओं और आज़ाद भारतीयों के साथ भी था, तथापि 1913 से पहले उन्होंने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की समस्याओं के प्रति अपना प्रत्यक्ष सरोकार व्यक्त नहीं किया। जून, 1913 में हरमन कालेनबाक को लिखे एक गुप्त पत्र में गाँधी ने लिखा कि उन्होंने 'अपने मन में गिरमिटिया लोगों के लिए कुछ करने की ठान ली है।'¹² हालाँकि गाँधी द्वारा कालेनबाक और दूसरे मित्रों को लिखे पत्रों से पता चलता है कि 1913 में हुई दक्षिण अफ्रीका की व्यापक हड़ताल गाँधी से प्रभावित नहीं थी, बल्कि तीन पौंड सालाना वाले लाइसेंस कर के खिलाफ़ हुए आंदोलन में गिरमिटिया मजदूरों की भागीदारी स्वतःस्फूर्त थी।¹³ इसी तरह यदि हम गाँधी के सत्याग्रह का अंतिम परिणाम देखें तो ज्ञात होता है कि गाँधी ने अपना सत्याग्रह एक समझौते के तहत समाप्त कर दिया और इस समझौते में वे क़ानूनी बराबरी के उस लक्ष्य को पाने में विफल रहे जिसके लिए उन्होंने इस संघर्ष

शुरुआती राष्ट्रवादी गिरमिटिया मजदूरों की परिस्थितियों से दुखी नहीं थे, बल्कि उनकी दिक्कत यह थी कि सम्भ्रांत, अमीर और स्वतंत्र भारतीयों के साथ भी कुली का काम करने वालों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा सुधार पर ध्यान देने के बजाय 'भारतीय कुलियों' को ही समस्या के रूप में देखा गया।

रामलखन (उम्र 15 वर्ष), कुली नं. 386150, मॉरिशस
सौजन्य से : महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट, मोका, मॉरिशस

¹⁰ ह्यू टिंकर (1974) : 288.

¹¹ वही : 303.

¹² सी.एफ. जोसफ़ लेलीवेलड (2011) : 108.

¹³ वही : 110-12.



की शुरुआत की थी। भारतीय अभी भी राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की ज़रूरत थी। इण्डियन रिलीफ़ एक्ट, जिसे गाँधी ने 'ब्लैक एक्ट' कहा था, से गिरमिटिया मज़दूरों की समस्याएँ कम नहीं हुईं जबकि ये मज़दूर ही हड़ताल और जुलूस की मुख्य ताकत थे। इस प्रकार, जैसा कि जोसफ़ लेलीवेल्ड ने भी निष्कर्ष निकाला है, गिरमिटिया प्रथा का उन्मूलन दक्षिण अफ्रीका में गाँधी के सत्याग्रह का घोषित लक्ष्य कभी नहीं था और न ही उनके आंदोलन ने भारतीय अनुबंधित मज़दूरों की समस्याओं को भौतिक रूप से प्रभावित किया।¹⁴

यद्यपि भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका में चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में नहीं थे, तथापि राष्ट्रवादी विमर्श में उनको शामिल करने से गिरमिटिया मज़दूरों की समस्याएँ भारतीय सार्वजनिक जीवन का अंग बनीं। बहुत से अख़बार उपनिवेशों में काम करने वाले प्रवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से छापने लगे। उदाहरण के लिए इलाहाबाद से प्रकाशित *स्वराज* के संवाददाता ने 22 अगस्त, 1908 को 'इज़ स्लेवरी इंटायरली सप्रेस्ड?' शीर्षक से इस मुद्दे पर लिखते हुए शिकायत की कि मॉरिशस में भारतीय कुलियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है और जिस अनुबंध पत्र पर वे हस्ताक्षर करते हैं वह दास प्रथा का ही परिष्कृत रूप है। उसने आगे लिखा कि कोई कुली मजिस्ट्रेट और यूरोपीयों से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। उस अख़बार ने मॉरिशस में रहने वाले अपने देशवासियों के लिए भारतीयों को आंदोलन शुरू करने की सलाह दी।¹⁵ इसी तरह मॉरिशस में भारतीय कुलियों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर *स्वराज* में छपे एक पत्र के जवाब में इलाहाबाद के ही *अभ्युदय* ने 11 अक्टूबर, 1908 के अंक में मॉरिशस और दूसरे उपनिवेशों में भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार की जाँच और रपट के लिए सरकार को तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया जिसमें एक सरकारी और दो गैरसरकारी भारतीय शामिल हों। इस कमेटी से यह भी अपेक्षा थी कि वह विदेश में रह रही भारतीय प्रजा के प्रति अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव देगी जिससे सरकार इण्डियन एमिग्रेशन एक्ट के प्रावधान व्यवहार में ठीक से लागू कर सके। इसी लेख में इस समस्या का निदान बताते हुए सम्पादक ने सरकार और अग्रिम पंक्ति के नेताओं से भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क़दम उठाने की सलाह दी ताकि भारतीय मज़दूर अपने देश में ही रोज़गार प्राप्त कर सकें और उन्हें दूसरे उपनिवेशों में प्रवास न करना पड़े जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।¹⁶

बीसवीं सदी की शुरुआत में गिरमिटिया मुद्दे पर भारतीय प्रेस का रवैया टकराव वाला था। प्रेस ने न सिर्फ़ हत्या, आत्महत्या और औपनिवेशिक न्यायालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत बड़ी संख्या में फाँसी तथा जेल की सज़ा की ख़बरों को प्रमुखता दी, बल्कि औपनिवेशिक न्याय के तरीकों पर भी सवाल उठाया। इलाहाबाद से छपने वाले अंग्रेज़ी दैनिक *द इण्डियन पीपुल* ने 13 सितम्बर, 1908 को दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय को फाँसी की सज़ा दिये जाने पर टिप्पणी करते हुए लिखा :¹⁷

कितनी देर, ओह! इस तरह कब तक चलता रहेगा? ब्रिटेन के लोगों का न्याय और ईमानदारी के प्रति लगाव सचमुच कल्पना मात्र है या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर से डरने वाली अंग्रेज़ों की मज़बूत जाति दिवंगत हो रही है? यदि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहा जैसा कि अभी हो रहा है तो हिंसा अधिनियम की प्रेरणा, भारतीय दण्ड संहिता का देशद्रोह

¹⁴ वही : 129-30.

¹⁵ *रिपोर्ट ऑन नेटिव न्यूज़पेपर्स* (आगे से आरएनएन), यूपी, अगस्त, 1908.

¹⁶ आरएनएन, यूपी, सितम्बर, 1908 : ऐसा लगता है कि सम्पादक ब्रिटेन के दास-प्रथा विरोधियों के विचार से प्रभावित हैं जो मज़दूरों को भेजने के बजाय स्वदेश में ही रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत पर बल देते थे.

¹⁷ आरएनएन, यूपी, अक्टूबर 1908.



उपखण्ड तथा अपराधी व्यवहार संहिता का 'अच्छा व्यवहार' उपखण्ड के रहते हुए भी भारतीय प्रायद्वीप की मिट्टी में अतिवाद भड़क उठेगा।

लखनऊ से निकलने वाले अखबार *दी एडवोकेट* ने 1 अक्टूबर, 1908 के अपने अंक में नटाल में बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों की आत्महत्या का जिक्र करते हुए विदेश में मजदूरों की हालत की सही जानकारी के लिए और उपनिवेशों में मजदूरों की देखभाल के लिए सरकार को एक प्रवासी बोर्ड बनाने की सलाह दी। अपने निष्कर्ष में सम्पादक लिखता है :

नटाल में आजाद भारतीयों के लिए विकट परिस्थितियों में भारत सरकार की ज़िम्मेदारी अनिवार्य रूप से बढ़ गयी है। इस अवसर पर एक तीखा स्मरण पत्र टॉनिक की तरह काम कर सकता है।

भारतीय प्रेस में गिरमिट प्रथा के खिलाफ़ निरंतर प्रबल होती आवाज़ के आलोक में ही प्रमुख राष्ट्रवादी गोपाल कृष्ण गोखले ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार पर दबाव बनाया। नाइसाफ़ी के शिकार गिरमिटिया मजदूरों की हालत से ज्यादा उनके राजनीतिक इस्तेमाल में स्पष्ट रुचि रखने वाले गोखले ने सलाह दी कि व्यवसायी स्वतंत्र भारतीयों की बेहतरी हेतु नटाल के लिए मजदूरों की भर्ती को रोकने का इस्तेमाल समझौते के लिए किया जा सकता है। ब्रिटिश भारत में नटाल के लिए गिरमिटिया मजदूरों की भर्ती रोकने के लिए 25 फ़रवरी, 1910 को गोखले लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्ताव लेकर आये और कहा कि 'दक्षिण अफ़्रीका में भारतीयों की समस्या का कारण नटाल में गिरमिटिया मजदूरों की आपूर्ति है।'¹⁸ उनके अनुसार गिरमिटिया प्रथा का उन्मूलन कर देना चाहिए क्योंकि :

दक्षिण अफ़्रीका में गिरमिटिया मजदूरों की लगातार आवक के परिणामस्वरूप पूर्व गिरमिटियाओं की क्रमशः अनिवार्य सालाना बढ़ोतरी के कारण अनानुबंधित भारतीयों की सम्पूर्ण आबादी की हैसियत हीनतर हुई है। आम तौर पर जिस घृणा की भावना से गिरमिटिया मजदूरों को देखा जाता है अब उसी घृणा से न सिर्फ़ पूर्व गिरमिटियाओं को बल्कि स्वतंत्र साधनों वाले सौदागरों और दूसरे भारतीयों को भी देखा जाता है।¹⁹

अतः गोखले के अनुसार गिरमिट प्रथा दक्षिण अफ़्रीका में आजाद भारतीयों की हैसियत को प्रभावित कर रहा थी। दक्षिण अफ़्रीकी राजनीतिक और नागरिक मामलों में सभी भारतीयों को एक ही नज़र से देख रहे थे। इससे ग़ैर-गिरमिटिया भारतीयों की उच्चतर हैसियत में गिरावट आ रही थी इसलिए इस प्रथा का उन्मूलन कर देना ही उचित था। गोखले ने दक्षिण अफ़्रीका में अनानुबंधित व्यापारी भारतीयों की राजनीतिक अधिकारों के लिए ख़ासी चिंता दिखाई। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ़ प्रतिरोध करना उनका एक उद्देश्य था। उन्होंने कहा :

मैं कौंसिल के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यह उन बुराइयों को सुधारने में मदद करेगा जिनसे हम लोग पीड़ित हैं। लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि इसका कोई प्रभाव न होता तो भी मैं यह प्रस्ताव रखता क्योंकि जिस तरह का व्यवहार दक्षिण अफ़्रीकी उपनिवेश ने हमारे साथ किया है उसका आधिकारिक और ज़िम्मेदारीपूर्वक विरोध दर्ज करना आवश्यक है और ऐसा न करना समर्पण करना है।²⁰

कौंसिल के सबसे महत्वपूर्ण मुसलमान राजनीतिज्ञ मोहम्मद अली जिन्ना और भी मुखर थे। उन्होंने कहा कि 'मुझे यहाँ यह साफ़-साफ़ कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस प्रस्ताव का प्राथमिक लक्ष्य प्रतिरोध है और दूसरा व गौण लक्ष्य मजदूरों का हित है।' सौदेबाज़ी की कोशिश में दादाभाई

¹⁸ प्रोसीडिंग्स ऑफ़ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, दिल्ली, फ़रवरी, 1910 : 239-285.

¹⁹ वही : 240.

²⁰ वही.

नौरोजी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत सरकार को सलाह दी कि वह अनुबंधित भारतीयों के मामले के निष्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर दबाव डाले अन्यथा उनकी यह सम्पन्नता, जो कि गिरमिटिया मजदूरों के कारण ही क्रायम थी, के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कहा :

दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में नटाल बड़ी संख्या में भारतीयों को अनुबंध के तहत रोजगार देता है। भारत से पाँच से छह हजार मजदूर प्रति वर्ष वहाँ प्रवासी बनकर जाते हैं। यह ताकत सरकार के हाथ में है और इसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका के किसी भी क्षेत्र को लाभ पहुँचाने में किया जा सकता है।²¹

दादाभाई नौरोजी दक्षिण अफ्रीकी संघ से गिरमिट प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी कि वह अनुबंधित प्रवास को हथियार बनाकर स्वतंत्र भारतीय समुदाय की हितों की रक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार से समझौता करे। इस प्रकार 1910 में लाया गया गोखले का प्रस्ताव गिरमिट प्रथा की समाप्ति के लिए नहीं था। 1910 में दक्षिण अफ्रीकी संघ के पूँजीपतियों ने भारत से गिरमिटिया मजदूरों की माँग पर रोक लगा दी, परंतु गैर-गिरमिटिया भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादियों का गिरमिट प्रथा के उन्मूलन का विचार दरअसल लक्ष्य प्रप्ति का एक बहाना था।

इसी बीच 1909 में भारत सरकार ने लार्ड सैंडर्सन के नेतृत्व में अनुबंधित प्रवास की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनायी। अप्रैल, 1910 में सैंडर्सन कमेटी ने अपनी रपट सौंप दी। कमेटी ने गिरमिट प्रथा की अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करते हुए कुछ संशोधनों की सिफारिश करते हुए गिरमिटिया प्रवास को जारी रखने का सुझाव दिया।²² सरकार द्वारा सैंडर्सन रपट को प्रकाशित करने के बाद गोखले ने इस मुद्दे को पुनः उठाया। 1910 में नटाल के लिए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की बहाली पर रोक लग जाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में गैर अनुबंधित भारतीय राजनीतिक बराबरी का अधिकार नहीं पा सके थे। इसे सवर्ण और सम्भ्रांत भारतीयों ने एक चुनौती के रूप में लिया और ब्रिटिश सरकार को उसके साम्राज्य की प्रजा के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सैंडर्सन कमेटी के प्रमाणों का सहारा लेकर चार मार्च, 1912 को गिरमिट प्रथा के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव रखा। इस बार गोखले ने गिरमिट प्रथा की बुराइयों को आधार बनाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपराध दण्ड संहिता, आत्महत्याओं, बागानों में हत्या की वारदातों तथा जहाज पर अनैतिकता को मुद्दा बनाया। उन्होंने गिरमिटिया स्त्रियों पर ध्यान केंद्रित किया और तर्क दिया कि स्त्रियों का कोटा पूरा करने के लिए चरित्रहीन महिलाओं को शामिल करने से बागानों में अनैतिकता को बढ़ावा मिला और यह अनैतिक संबंध सिर्फ गिरमिटिया स्त्री-पुरुषों के ही बीच न होकर स्त्रियों और कुछ बागान मालिकों या उनके ओवरसियरों के बीच भी था।²³ उनका तर्क था कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से इस प्रथा से भारतीयों की चारित्रिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अवनति हुई। इस प्रथा के कारण प्रवासी भारतीय 'कुली' के रूप में जाने गये भले ही वे ऊँची हैसियत वाले हों। दक्षिण अफ्रीका की असहनीय कर प्रणाली ने पुरुषों को अपराध की ओर तथा स्त्रियों को निर्लज्जता की ओर प्रवृत्त किया। गोखले के अनुसार इस प्रथा से भारतीयों का आत्मसम्मान धूमिल हुआ।²⁴

एच.एस. फ्रेमेटल ने, जो कि उत्तर भारतीय मजदूर श्रम बाजार के जानकार और लेजिस्लेटिव कौंसिल के सरकारी सदस्य थे, उन तर्कों की जबरदस्त मुखालफत की जिसके आधार पर गोखले ने

²¹ दादाभाई नौरोजी, वही : 251.

²² पार्लियामेंटी पेपर्स (1910), (सीडी 5192), रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन एमिग्रेशन फ्रॉम इण्डिया टू द क्राउन कॉलोनीज ऐंड प्रोटेक्टोरेट्स, 1910 (आगे से रिपोर्ट ऑफ सैंडर्सन कमेटी).

²³ प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, नयी दिल्ली, 3 फरवरी 1910 : 251.

²⁴ वही : 370.

इस प्रथा का विरोध किया था।²⁵ उन्होंने गोखले के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि गोण्डा, फ़ैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर तथा बनारस के लोग उपनिवेशों में काम करने की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। 'वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति काम करने की परिस्थितियों से परिचित था क्योंकि उसका जानकार या रिश्तेदार पहले से ही वहाँ रह रहा था।'²⁶ गोखले के दृष्टिकोण को खारिज करने के लिए उसने विभिन्न उपनिवेशों में गिरमिटिया मज़दूरों द्वारा ख़रीदी गयी ज़मीन का विवरण प्रस्तुत किया :

भारतीयों ने ब्रिटिश गुयाना में जो सम्पत्ति ख़रीदी वह उनके समुदाय के प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे के हिस्से में लगभग दो पौंड के बराबर थी; त्रिनिदाद में 14 वर्षों में 70,000 एकड़ ज़मीन भारतीयों द्वारा ख़रीदी गयी; फ़ीजी में 1898 से 1908 के बीच लीज़ और फ़्रीहोल्ड मिलाकर भारतीयों के ज़मीन का स्वामित्व 6,600 एकड़ से बढ़कर 46,000 एकड़ हो गया। यह 46,000 एकड़ फ़ीजी में रहने वाले आज़ाद भारतीयों के प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे के हिस्से में 17 एकड़ के बराबर था।²⁷

फ़्रेमैटल ने गिरमिटिया मज़दूरों के दो अंग्रेज़ी-शिक्षित बच्चों फ़्रांसिस एडवर्ड मोहम्मद हुसेन तथा जॉर्ज फिट्ज़पैट्रिक का उल्लेख किया जिन्होंने सैंडर्सन कमेटी के सामने गवाही दी थी कि उपनिवेशों में कुलियों के साथ अच्छा व्यवहार होता था जिससे वे अंततः समृद्ध बन सके। फिट्ज़पैट्रिक ने सैंडर्सन कमेटी को भेजे अपने स्मरण पत्र में कहा था :

ईस्ट इण्डिया के लोगों ने, अनुबंध समाप्त होने के बाद, स्वेच्छापूर्वक वहीं रहना स्वीकार किया; उन्होंने क्राउन की ज़मीन ख़रीदी और सफलता के नये द्वार खोले; उन्होंने गन्ने और फल-सब्ज़ियों की खेती की और सब्ज़ियों आदि के लिए उपनिवेश के लोग उन्हीं पर निर्भर रहते थे। वे कुशल मज़दूर बने और उनको स्थानीय सड़कों, रेल तथा नगरपालिकाओं में रोज़गार मिला। वे और उनके वंशज उद्यमी, व्यापारी, दूकानदार, ठेकेदार, शिक्षक आदि बने। वे सभी बेहद निष्ठावान और देशभक्त हैं और इसीलिए उपनिवेश के महत्त्वपूर्ण घटक बने।²⁸

फ़्रेमैटल ने आगे तर्क दिया कि बहराइच के सेवक मज़दूरों की अपेक्षा प्रवासी मज़दूरों का वेतन और सेवा शर्तें कहीं बेहतर थीं।²⁹ भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी फ़्रेमैटल ने राष्ट्रवादी-विमर्श को पलटने की कोशिश की। उसके अनुसार गोखले का प्रस्ताव ग़रीब भारतीय मज़दूरों को सफल उद्यमी बनने से रोकने का प्रयास था :

पिछले सप्ताह ही स्टेट्समैन में मैंने पढ़ा कि गिरिडीह में कुछ छोटी जोत के मालिकों ने महज 20 से 40 रुपये की उधारी के बदले अपने को बँधुआ के रूप में गिरवी रख दिया। यह बँधुआगिरी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है क्योंकि पुत्र को पिता के ऋज का बोझ अपने ऊपर लेना पड़ता है। यह भारतीय साम्राज्य में रहने वाले ग़रीब मज़दूरों तथा उन पर निर्भर 46 मिलियन लोगों की हालत की एक झलक है और मुझे लगता है कि ऐसी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों तथा जीवन भर बँधुआगिरी में रहने वाले लोग पाँच साल की गिरमिटियागिरी और उसके बाद आज़ादी के विकल्प का शायद

²⁵ 1905 में फ़्रेमैटल ने मज़दूरों की कमी की पड़ताल की थी और इसके लिए संयुक्त प्रांत और बंगाल के अनेक प्रवासी केंद्रों का दौरा किया था. देखें, एस.एच. फ़्रेमैटल (1906). आने वाले वर्षों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार की हैसियत से भी उन्होंने संयुक्त प्रांत का दौरा किया और उपनिवेशों से वापस आने वाले कुलियों तथा पहली बार वहाँ काम करने वाले कुलियों से बात की.

²⁶ फ़्रेमैटल, प्रोसीडिंग्स ऑफ़ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, नयी दिल्ली, 1912, वही : 373-4.

²⁷ फ़्रेमैटल, वही : 374.

²⁸ फ़्रेमैटल, वही : 374.

²⁹ गॉंडा और बहराइच में सेवक मज़दूरों की प्रथा थी. 'सेवक मज़दूर कोरी, चमार, लुणिया जैसी निम्न जाति के सदस्य होते थे. वे हमेशा ज़मींदारों के कर्ज में डूबे रहते थे. यह उधार वास्तव में कभी चुकता नहीं होता था. उधार की मात्रा लेने वाले की ज़रूरत से तय होती थी लेकिन उधार सौ रुपये से अधिक और बीस रुपये से कम शायद ही होता था. बँधुआ को जोत का बहुत थोड़ा हिस्सा उसके मालिक द्वारा मिलता था और उस जोत की बाज़ार की क्रीमत जितना मूल्य उधार पैसे में जोड़ दिया जाता था'. गोण्डा डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, 1905, फ़्रेमैटल द्वारा उद्धृत, वही : 374.

ही विरोध करेंगे और मेरे हिसाब से वे लोग भूस्वामी तथा साम्राज्य का आत्म गौरवशाली नागरिक बनाने वाली सीढ़ी काटने का प्रयास करने के लिए गोखले का धन्यवाद नहीं करेंगे।³⁰

अतः गोखले की आलोचना से गिरमिटिया प्रवास की सरकारी नीति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समय के साथ इस प्रथा में उल्लेखनीय सुधार हुए थे और इस प्रथा के तहत गये प्रवासियों ने उपनिवेशों में आर्थिक रूप से समृद्ध एक नये वर्ग का निर्माण किया जो गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने के बजाय अपनी सामाजिक हैसियत को उठाने में अधिक रुचि रखता था। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के दो प्रमुख संगठनों द नटाल इण्डियन पैट्रियोटिक यूनियन (एनआईपीयू, स्थापना : 1908) तथा द कॉलोनियल बोर्न इण्डियन एसोसिएशन (सीबीआईए, स्थापना : 1911) के सदस्य पूर्व गिरमिटिया मजदूर या उनके बच्चे थे जो अब नये उभरते सभ्रांत तबक्रे के प्रतिनिधि थे। परिणामस्वरूप उनकी मुख्य चिंता गिरमिट प्रथा के उन्मूलन के बजाय अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने की थी।³¹ गिरमिटिया मजदूरों के बीच इस प्रथा का मुखर विरोध न होने के कारण ही बीसवीं सदी के पहले दशक तक सरकार ने इस प्रथा के उन्मूलन की राष्ट्रवादियों की माँग पर ध्यान नहीं दिया।

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काँसिल में 1912 के गोखले के गिरमिट उन्मूलन प्रस्ताव का 22 सदस्यों ने समर्थन तथा 33 सदस्यों ने विरोध किया। इस तरह प्रस्ताव खारिज हो गया। गिरमिट विरोधी प्रस्ताव पर हार जाने से राष्ट्रवादियों को बहुत हताशा हुई। गोखले ने वादा किया कि वे तब तक ऐसा प्रस्ताव लाते रहेंगे जब तक वह पास न हो जाए। इस बीच राष्ट्रवादियों ने साम्राज्य में भारतीयों के प्रति होने वाले बरताव तथा गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन के मुद्दे पर अपने विरोध को केंद्रित रखा और पहले विश्व-युद्ध की शुरुआत के साथ ही गिरमिट प्रथा के विरोध ने एक जनांदोलन का रूप ले लिया।

गिरमिटिया स्त्रियाँ और राष्ट्रवादी ध्रुवीकरण

1913 में 'फ़्रीजी से एक भारतीय स्त्री की पुकार' शीर्षक से *भारत मित्र* में प्रकाशित हुए एक कॉलम ने भारतीय राष्ट्रवादियों और गिरमिट प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों को ब्रिटिश सत्ता और उसकी नीतियों की आलोचना करने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा दिया। इस कॉलम का आधार कुंती नाम की गिरमिटिया स्त्री थी जो लखुआपोखर, पोस्ट बेलघाट, ज़िला गोरखपुर के चरण चमार की बेटी थी। कुंती ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल, 1913 को श्वेत ओवरसीयर और सरदार ने उसके साथ बलात्कार करने का भरपूर प्रयास किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुंती मुश्किल से भाग कर पास की ही एक नदी में कूद गयी, किंतु पास ही में अपनी नाव पर सवार एक लड़के ने कुंती की जान बचा ली। अनेक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अखबारों ने इस पत्र को पुनर्प्रकाशित किया।³² भारतीय राष्ट्रवादी इस मुद्दे को आम जनता के बीच ले गये और बांगानों में भारत की बेटी के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने लगे। चमार जाति से होने के बावजूद अनेक राष्ट्रवादियों ने कुंती की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि इज्जत पर आँच आने पर सभी भारतीय स्त्रियाँ कुंती का ही अनुकरण करेंगी। *भारत मित्र* ने 8 मई, 1914 को लिखा :

चमार जाति से होने के बावजूद, अपनी अस्मत् बचाने के लिए नदी में कूदने का साहस दिखाकर उसने अनेक सभ्रांत स्त्रियों को पीछे छोड़ दिया है। इससे साहसी और आदरणीय स्त्रियों की पाँति

³⁰ फ्रेमेटल, वही : 374.

³¹ सुरेंद्र भाना, वही : 116.

³² कॉलोनियल सेक्रेटरी ऑफिस मिनट्स पेपर्स (आगे से सीएसओएमपी), 8779 /13; 6609 /14, नैशनल आर्काइव्स ऑफ़ फ़्रीजी (अब एनएएफ़), फ़्रीजी की सरकार ने इस पर जाँच बैठाई और पता चला कि कुंती के लिए यह पत्र स्वामी मनोहरानंद सरस्वती द्वारा तोताराम सनादय के घर पर लिखा गया था. बृजलाल ने इसका विस्तार से जिक्र किया है. देखें बृजलाल (1985) : 55-71. यह भी देखें, जॉन. डी. केली (2005).

में उसका स्थान बन गया है। उसने जिस तरह से प्रवासी अधिकारी से बरताव किया उससे हमारे देश की स्त्रियों को सीखना चाहिए। बहुत नाजुक मौकों पर भी सही (अस्मत?) का ही साथ देना चाहिए। एक समय था जब हमारे देश में कुंती जैसी अनेक स्त्रियाँ थीं लेकिन दुर्भाग्य से अब वैसी स्थिति नहीं है।³³

इस अवसर पर एक कवि ने एक कविता लिखी :³⁴
 सतियों का धर्म डिगाने को जब अन्यायीयों ने कमर कसी
 जल अगम में कुंती कूद पड़ी, पर बही मँझधार नहीं
 अत्याचार की चक्की में, पिस कर धर्म नहीं छोड़ा
 हिंदूपन अपना खो बैठें, भारत के वीर गँवार नहीं
 इस पतन का तो कुछ यत्न करो, हर कुंती का जीवन सफल रहे
 बिना धर्म धारण किये, सुख शांति का संचार नहीं

कुंती प्रकरण ने औपनिवेशिक शासन की आलोचना का एक पुख्ता आधार दे दिया। इस तरह एक मजबूत उपनिवेश विरोधी विमर्श तैयार हुआ जिसके तहत भारतीय संस्कृति में उपनिवेशवादी हस्तक्षेप की घोर आलोचना की गयी और भारतीय स्त्री को जान की क्रीमत पर भी पतिपरायण माना गया।³⁵ प्रसिद्ध मानवविज्ञानी जॉन केली का मानना है कि कुंती प्रसंग द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्त्री की धार्मिक छवि को यथार्थ बना दिया कि विपत्ति में ईश्वर उसकी रक्षा करता है।³⁶ जिस तरह भक्ति विमर्श में सतीत्व या अस्मिता ही स्त्री का सत्व है और पत्नी की पवित्रता का अस्तित्व ईश्वर/पति के साथ उसके धार्मिक बंधन में है।³⁷ अतः केली के अनुसार भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय स्त्रीत्व की धार्मिक धारणा को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध कर दिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में भारतीय स्त्री का सतीत्व खतरे में था।³⁸ जब तोताराम सनाढ्य ने बनारसीदास चतुर्वेदी की सहायता से 1914 में अपनी आत्मकथा में कुंती प्रकरण की विस्तार से चर्चा की तब तोताराम ने मुख्यतः कुंती की अस्मत की बात की जिसे वह तमाम कठिनाइयों के बीच बचाने में सफल रही थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने कुंती के साहस की प्रशंसा की। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों के नजरिये में जातिवादी और उच्चवर्णीय बात यह थी कि वे कुंती को एक निष्ठावान पत्नी के रूप न देख कर इस रूप में देख रहे थे कि चमार महिला होकर भी उसने अपना बलात्कार नहीं होने दिया। उनके लिए यह एक आदर्श भारतीय स्त्रीत्व का उदाहरण था और इससे कुंती उच्च जाति की निष्ठावान पत्नियों की स्पर्धा में आ गयी थी। दूसरे शब्दों में, भारतीय राष्ट्रवादियों ने पीड़िता के चयन और व्याख्या में भी उच्च जाति के मूल्यों को प्राथमिकता दी। नीची जाति की स्त्री तब तक राष्ट्रवादियों के विमर्श का विषय नहीं बन सकी जब तक उसने ऊँची जाति की स्त्री के तथाकथित गुणों का प्रदर्शन नहीं कर दिया।

भारतीय स्त्री पर हुए इतिहास लेखन को भारतीय समाज और इसकी स्त्रियों के बारे में राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवादियों को दिये जवाब के संदर्भ में ही समझा गया है।³⁹ यद्यपि विद्वानों ने राष्ट्रवादी विचार निर्मित में पुंसत्व और पितृसत्ता को तो पहचाना है लेकिन वे भारत में स्त्रियों के जातिगत

³³ सीएसओएमपी, 6609 /14.

³⁴ देखें, धीरा वर्मा (2000) : 212.

³⁵ जॉन डी. केली (2005), वही : 45 -65.

³⁶ वही : 48.

³⁷ वही : 63.

³⁸ केली, वही, अध्याय 2.

³⁹ पार्थ चटर्जी (1993); कुमकुम संगारी और सुदेश वैद (1989); सुजाता पटेल (1988); सुरचि थॉपर (1993); शकुंतला राव (1999); मॉडल (2002) : 913-936.

वैविध्य को समझने में असफल रहे।⁴⁰ इतिहासकारों तथा स्त्री विमर्शकारों ने भारतीय संदर्भ में स्त्री का समरूपीकरण कर दिया है और स्त्री की कोटि के भीतर अधीनता की विविध कोटियों की उपेक्षा की है। इसीलिए स्त्रियों के संदर्भ में राष्ट्रवादी विमर्श उनकी आलोचना पितृसत्ता तथा पुंसत्व तक सीमित है और उसमें जाति का पैमाना शामिल नहीं है। कुंती प्रसंग इसका शानदार उदाहरण है कि कैसे भारतीय समाज के जाति के पूर्वग्रह के कारण वर्णक्रम में नीचे आने वाली जाति की महिला की आवाज को इतिहास की व्याख्या में सिर्फ स्त्री की कोटि में रखकर धुँधला कर दिया।

दक्षिण अफ्रीकी सभी भारतीयों को राजनीतिक और नागरिक मामलों में एक ही नज़र से देख रहे थे। इससे गैर-गिरमिटिया भारतीयों की उच्चतर हैसियत में गिरावट आ रही थी इसलिए इस प्रथा का उन्मूलन कर देना ही उचित था। गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में अनानुबंधित व्यापारी भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए खासी चिंता दिखायी।

जब भारतीय राष्ट्रवादी उपनिवेशों में स्त्रियों पर अत्याचार के मुद्दों का राजनीतीकरण कर रहे थे और गिरमिट प्रथा की समाप्ति की माँग कर रहे थे उसी समय कुंती अपने पति और दो बेटियों के साथ जुलाई, 1914 में फ्रीजी से कलकत्ता लौटी।⁴¹ कुंती की कहानी पहले से ही लोगों की जानकारी में थी और अखबारों के सम्पादकीय और कवियों की कविता का विषय बन चुकी थी।⁴² भारत के प्रवासी अधिकारी कुंती के कलकत्ता लौटने की सूचना व उसके गिरमिट विरोधी अभियान का हिस्सा बनने से डरे हुए थे। आने के बाद कुंती ने संबंधित अधिकारियों के सामने फ्रीजी के बगान में अपने साथ हुए अन्याय की कहानी के साथ ही वापस लौटते समय हुए आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों के बारे में बताया। कुंती अपने पति की बीमारी के कारण कलकत्ता से अपने गाँव नहीं लौट पाई। कलकत्ता में वह गिरमिटिया प्रवास विरोधी राम बिहारी टण्डन के सम्पर्क में आयी। वह 160, हैरिसन रोड पर रुकी जो कि इण्डेंचर कुली प्रोटेक्शन सोसाइटी या एंटी इण्डेंचर्ड एमिग्रेशन लीग का मुख्य कार्यालय था।⁴³

उसने कलकत्ता में गिरमिट विरोधी अभियान में हिस्सा लिया और लोगों के बीच भाषण भी दिया।

तोताराम सनाह्य भी फ्रीजी में 21 वर्ष बिताकर अप्रैल, 1914 में भारत लौटने वाले एक अन्य गिरमिटिया थे। तोताराम गिरमिटिया प्रवास विरोधी आंदोलनकारी जैसे मणीलाल, गोपाल कृष्ण गोखले,

जोगेसर, कुली नं. 353657, मॉरिशस
सौजन्य से : महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट, मोका, मॉरिशस

⁴⁰ उदाहरणार्थ, जब इतिहासकारों ने राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय समाज और स्त्री के संदर्भ में उपनिवेशवादियों के खिलाफ गद्दी नयी स्त्री की छवि की व्याख्या की तो वे ऊँची जातियों द्वारा नीची जाति की महिलाओं की शिक्षा के विरोध को समझने में विफल रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सावित्रीबाई फुले का अनुभव है।

⁴¹ देखें, आशुतोष कुमार (2017)।

⁴² राष्ट्रवादियों द्वारा रचित कविताओं सम्पादकों के तथा अखबारों में छपी सामग्रियों के लिए देखें, आशुतोष कुमार (2013) : 12 -13.

⁴³ सीएसओएमपी, 8865 /15, एनएएफ, कुंती ने अपना हलफिया बयान अमूल्य चंद्र दत्त, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के सामने चौदह अगस्त, 1915 को दिया था। इण्डेंचर्ड कुली प्रोटेक्शन सोसाइटी और एंटी-इण्डेंचर्ड एमिग्रेशन लीग का गठन धनी मारवाड़ियों और आर्यसमाजियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ताकि विदेशों में प्रवासन रोका जा सके। इन संगठनों का दफ्तर 160, हैरिसन रोड/सुत्ता पति रोड, कलकत्ता पर था। मैंने इन संगठनों की गतिविधियों की चर्चा इस लेख के बाद वाले हिस्से में की है। देखें, पत्र संख्या 322, दार्जिलिंग, 14 अक्टूबर, 1915, जेम्स डोनाल्ड, सेक्रेटरी, जीओबी फ़ाइनेंशियल डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी, जीओआई, सी एंड आई को.

महात्मा गाँधी, सी.एफ. एंड्रूज़ आदि के सम्पर्क में पहले से ही थे। वापस लौटने के बाद वे एक महीने तक कलकत्ता के धर्मतल्ला में रुके रहे। उन्होंने तेरह भाषण दिये और इण्डेंचर्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के मारवाड़ियों की सहायता से कुल 15,000 पर्चे बाँटे।⁴⁴ तोताराम गिरमिट प्रथा की हकीकत बताने का दावा करते हुए गाँव-गाँव घूमते रहे। उन्होंने कलकत्ता, लाहौर, अम्बाला, मथुरा आदि जगहों पर कुली प्रथा के खिलाफ भाषण दिये। वे मद्रास में कांग्रेस के उन्तीसवें अधिवेशन में फ़्रीज़ी के भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए और आधे घंटे तक भाषण दिया। हरिद्वार के कुम्भ मेला में भी तोताराम ने कुली प्रथा के खिलाफ भाषण दिया और आरकाटियों (भर्ती करने वालों) के खिलाफ 50,000 पर्चे बाँटे।

गिरमिट प्रथा के अपमान को बेपर्दा करने के लिए और उसके खिलाफ भारतीयों को गोलबंद करने के लिए बनारसीदास के सहयोग से तोताराम ने अपने अनुभवों को 1914 में आत्मकथा के रूप में *फ़्रीज़ी द्वीप में मेरे इक्कीस वर्ष* शीर्षक से प्रकाशित कराया। कुली प्रथा के खिलाफ राष्ट्रवादी गोलबंदी में इस किताब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। एक सरकारी पाठक ने लिखा, 'उन्होंने फ़्रीज़ी में भारतीयों पर होने वाली वीभत्स यातना का ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया और उनके साथ होने वाले हिंसा के अनेक तरीकों के बारे में बताया।'⁴⁵ अपनी किताब में इस प्रथा की अनेक बुराइयों का जिक्र करने के साथ उन्होंने बाग़ानों में महिला मजदूरों की स्थिति का विशेष वर्णन किया।

तोताराम के अनुसार गिरमिट प्रथा ने स्त्रियों के प्रवसन से फ़्रीज़ी में भारत की छवि ख़राब हुई। फ़्रीज़ी के एक मूल निवासी ने बाग़ानों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में तोताराम से निम्न बातें कहीं :
भारत एक ख़राब देश है, वहाँ की स्त्रियाँ विदेश (फ़्रीज़ी) में मजदूरी करने आती हैं। यहाँ आकर वे अनेक यातनाएँ सहती हैं। जैसी यातनाएँ तुम्हारी स्त्रियों को दी जाती हैं वैसी अगर हमारी महिलाओं को दी जाती तो हम लोग इसके ज़िम्मेदार लोगों का समूल नाश कर देते।⁴⁶

यद्यपि तोताराम बाग़ान में स्त्रियों के काम की सराहना करते हैं, उनकी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो भी उनके विचार में अंतर्निहित है कि स्त्रियाँ स्वभावतः कठिन काम के लिए नहीं बनी हैं : वे स्वभावतः कोमल और सुकुमार होती हैं और घर में कठिन काम नहीं किये होतीं।' इस प्रकार तोताराम ने स्त्रियों के संसार को घर तक सीमित कर दिया। वे कामकाजी दुनिया से नहीं आतीं— ऐसा कहकर उन्होंने घर अर्थात् भारत में आर्थिक कार्यक्षेत्र में स्त्रियों की समान भूमिका की अनदेखी कर दी।⁴⁷ बाग़ान में काम करने वाली स्त्रियों के प्रति उसकी सहानुभूति का विरोधाभास यह है कि इस तर्क को भारत में खेत में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके विचार में जाति और वर्ग से परे घरेलूपन सभी महिलाओं का वाचक है। बाग़ान में काम करने वाली स्त्रियों के शोषण के खिलाफ जो तर्क तोताराम तथा राष्ट्रवादियों ने प्रस्तुत किये वह समस्याग्रस्त बना रहा। अतः इसमें आश्चर्य नहीं है कि स्त्रियों को दोहरे शोषण से बचाने की लड़ाई विदेशी बाग़ानों के संदर्भ में तो लड़ी गयी, किंतु विडम्बनापूर्ण ढंग से भारत में हो रहे ऐसे ही शोषण की उपेक्षा कर दी गयी। इतिहास में इस बिंदु पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने घर और बाहर महिलाओं के आर्थिक योगदान की अनदेखी की और राष्ट्रवादी विमर्श में स्त्रियाँ सिर्फ संस्कृति की वाहक के रूप में दिखाई गयीं। इसलिए बाग़ानों में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को तत्काल ही उदीयमान राष्ट्र के अभिमान पर प्रहार में बदल दिया जाता था।

⁴⁴ तोताराम सनाह्य (1914).

⁴⁵ नोट 1151, सीआईडी, यूपी, 20 अप्रैल, 1915, देखें, यूपी गवर्नमेंट टू मद्रास गवर्नमेंट, मद्रास, पब्लिक ऑर्डिनरी सीरीज, जीओएन 1331, 13 सितम्बर, 1915, एनएआई.

⁴⁶ तोताराम सनाह्य, चौथा संस्करण, वही : 32.

⁴⁷ भारत में स्त्रियों की आर्थिक भूमिका का विश्लेषण कई विद्वानों ने किया है. कुछ उदाहरणों के लिए देखें, स्मित सेन (1999); प्रेम चौधरी (1987); मुकुल मुखर्जी (1983) : 27-45.



तोताराम की आत्मकथा से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रवादियों ने इस प्रथा के खिलाफ लिखा। लक्ष्मण सिंह चौहान ने एक नाटक लिखा *कुली-प्रथा अर्थात् बीसवीं सदी की गुलामी* और इसे संयुक्त प्रांत के लोकप्रिय अखबार *प्रताप* में प्रकाशित कराया।⁴⁸ नाटक ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और अपने पाठकों में देशभक्ति की भावना जगाया। हालाँकि भारत सरकार ने 1910 के प्रेस एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया।⁴⁹ *कुली-प्रथा* नाटक ने गिरमिट प्रथा की निंदा की और इसकी तुलना दास-प्रथा से की। इसके अग्रपृष्ठ की पंक्तियाँ एक कविता से शुरू होती हैं :

है गुलाम व्यापार यह कुली प्रथा के वेश में
जो अब तक देखा न था देखा भारत देश में

आभार वाले भाग में लेखक यह आशा करता है कि यह आदरणीय राजाओं और राजबहादुरों के हाथ न लगे, जो भुगतान करके वोट लेते हैं और अपने देश की जनता को निराश करते हैं।

जो कि किराये के वोटों पर चढ़ कौंसिल को जाते हैं
बनकर मेंबर गवर्नमेंट से ऑनरबल कहलाते हैं
देशवासियों की आशा को कुचल चूर करने वाली
संशय संयुक्त माननीयता धन बल से जिनने पा ली
उन सब राजा रायबहादुर इत्यादि श्री कर में
कभी न पहुँचे ये पुस्तक हे ईश! माँगता हू वर में

नाटक तीन अंक तथा चौबीस दृश्यों में बटा था। पहले दृश्य में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए तीर्थयात्री उनसे पुराने शारीरिक और मानसिक शक्ति, यश तथा वैभव को लौटाने की माँग करते हैं। बृजलाल अरकाटी के रूप में आता है जो अनेक तरीकों और चालाकियों से ग्रामीणों को प्रवास के लिए प्रेरित करता है। कुंती, जो असल में फ़ीजी में गिरमिटिया मजदूर थी और उसका पति भोला दो ऐसे पात्र हैं जो अरकाटी के प्रभाव में आकर फ़ीजी चले जाते हैं। बाद में दिखाया गया है कि दोनों के साथ छल होता है। कुंती को अपने पति से अलग कर दिया जाता है और मेडिकल जाँच के समय उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इस प्रसंग में कुंती गाती है :

कैसे धरूँगी धैर्य नाथ हो! तुम बिन मैं अबला नारी,
मेरे लोचन तुम बिन अंधे शून्य मुझे वसुधा सारी,
जीवन की यात्रा भारी है पथ भावी में छिपा हुआ,
विपदा की नदियाँ बहती हैं विपिन भयानक संसारी,
इसीलिए हे नाथ मुझे तुम तजो नहीं हा! दया करो,
मुझे बचाना नाथ सतावेंगे जब दुष्ट अत्याचारी।⁵⁰

बागान में ओवरसियर भोला की पीट-पीट कर हत्या कर देता है। नाटक में यह भी दिखाया गया है कि बागान में कुंती बहुत कठिनाई सहती है। कुंती के पति को मारने के बाद जब श्वेत इंस्पेक्टर कुंती के पास उसका दैहिक शोषण करने आता है, कुंती निम्न पंक्तियों में फट पड़ती है :

फोड़ दूँगी अँगुलियों से मैं तेरी आँखें जभी
खींच लूँगी तेरे इस पेट की आँतें सभी
रगड़ दूँगी एड़ियों से नीच तेरा हृदय भी

⁴⁸ लक्ष्मण सिंह (1916), *कुलीप्रथा अर्थात् बीसवीं शताब्दी की गुलामी*, प्रकाशक स्वामी नारायण मिश्र, प्रताप कार्यालय, कानपुर. तोताराम सनाद्वय अपनी रचना के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि सरकार ने उनकी किताब प्रतिबंधित कर दी. लक्ष्मण सिंह को कुलीप्रथा नाटक लिखने में उन्होंने भी मदद की थी. यह भी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गयी थी. करेन ए. रॉय ने अपने पीएचडी के शोधप्रबंध में गलत लिखा है कि तोताराम सनाद्वय जनवरी, 1915 के आसपास भारत लौटे, देखें : 214 और उन अपनी किताब *कुली-प्रथा* : 220.

⁴⁹ प्रोस्क्रिप्शन ऑफ़ कुली-प्रथा अण्डर 1910 प्रेस एक्ट, नोट बाई सेटॉन, 27 मार्च 1917, जे एंड पी 1109/17, आईओआर.

⁵⁰ वही : 34.



उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूरीनाम की राजधानी परामारीबो के डिपो में भारतीय गिरमिटिया मजदूर। सौजन्य से : जूलियस एडवर्ड मुलर, रॉयल ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट, नीदरलैंड



बस दुखमय इस जगत में शांति पाऊँगी तभी।⁵¹

एक दृश्य में कुछ युवक अखबार में विदेश में भर्तियों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ विदेश में भारतीयों की स्थिति का चित्रण करने वाली एक कविता मिलती है :

आर्य बहू, तब शांति या रमणीयता वह है कहाँ ?
क्यों म्लान है तेरा बदन यह दीनता कैसी यहाँ ?
माँ बालकों के पैर में है दासता बड़ी पड़ी
हाथ में उनके जड़ी निःशस्त्रता की हथकड़ी
परदेश के सब द्वार उनके हेतु बिल्कुल बंद हैं
जा सकेंगे तो कुली बन, भाग्य उनके मंद हैं।⁵²

नाटक में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा कराई गयी जाँच में उपनिवेशों में भारतीय कामगारों की स्थिति के बारे में ग़लत जानकारी दी गयी थी। अंत में, नाटक का निष्कर्ष है कि फ़ीजी में भारतीयों की हालात शोचनीय है और वाइसराय की कौंसिल के प्रस्ताव इसका समाधान नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता की गोलबंदी और विरोध ही उपनिवेशों में कुली भाइयों को बचाने का एक मात्र जरिया है। गिरमिट प्रथा पर लिखे साहित्य को भारतीय क्रांतिकारियों के बीच भी पाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी पत्र *केसरी* में ऐसे पत्रों पर दो लेख प्रकाशित किये। ऐसा साहित्य मैनुपुरी केस के षड्यंत्रकारियों के पास भी मिला था।⁵³

⁵¹ वही : 59.

⁵² वही : 18.

⁵³ तोताराम सनाह्य, वही : 19.

गिरमिट प्रथा के विरुद्ध भड़कती भावनाओं और दबाव के परिप्रेक्ष्य में लीग फॉर अबॉलिशन ऑफ़ इण्डेंचर लेबर के मानद विशेष सचिव के रूप में गाँधी के खास दोस्त सी.एफ. ऐंड्रूज़ और विलियम विंस्टेनले पिअरसन गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा और प्रथा की बुराइयों की जाँच-परख के लिए फ़ीजी गये।⁵⁴ यहाँ तक कि भारत सरकार भी फ़ीजी में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के साथ होने वाले बरताव पर चिंतित थी, क्योंकि तोताराम सनाह्य जैसे वापस लौटे गिरमिटिया मजदूरों के साथ साथ ईसाई मिशनरी जे.डब्ल्यू. बार्टन और हन्नाह डुडले ने भी वहाँ का नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया था। ऐंड्रूज़ और पिअरसन ने फ़रवरी, 1916 में अपने स्वतंत्र जाँच की रपट प्रकाशित करायी।⁵⁵ ऐंड्रूज़ ने अरकाटियों द्वारा औरतों और मर्दों को धोखे से डिपो लाने की अनेक घटनाओं की चर्चा की। ऐसे उद्देश्य (विशेषतः स्त्रियों की भर्ती के लिए) के लिए अरकाटियों ने मथुरा, इलाहाबाद, बनारस आदि तीर्थ स्थानों का चयन किया था।⁵⁶ यह बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि वे सब विधवाएँ थीं। उन लोगों ने अपनी रपट में बताया कि इस प्रथा के कारण भारतीयों के बीच हत्या और अपराध की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई थी। उनके अनुसार ऐसे अपराध का कारण स्त्री-पुरुष के अनुपात में अंतर था : ऐसे अपराधों में दोषी पाए गये अधिकतर लोग अन्यथा शांत और क़ानून का पालन करते थे; और जिन हत्याओं के लिए उन्हें मौत की सज़ा दी गयी थी उसका कारण हत्या की इच्छा न होकर यौनजनित ईर्ष्या थी। इसी तरह औपनिवेशिक सरकार का निष्कर्ष भी यही था की बाग़ानों में हत्या की घटनाओं का कारण वासनात्मक ईर्ष्या थी।⁵⁷

इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने नियम बना दिया कि ईख के बाग़ानों में भर्ती के लिए स्त्री-पुरुष का अनुपात 40:100 का होना चाहिए। फ़ीजी के भारतीयों द्वारा दायर एक आवेदन, जिसे ऐंड्रूज़ और पिअरसन के सामने भी प्रस्तुत किया गया, का भी यही कहना था कि वहाँ हत्या की घटनाओं का कारण लैंगिक अनुपात में विषमता थी।

बाग़ानों में हिंसा के कारणों का विश्लेषण करते हुए इतिहासकार बृजलाल ने सही कहा है कि स्त्रियों की हत्या का कारण सिर्फ़ वासनात्मक ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि यह सामान्य सामाजिक बंधनों में टूट का नतीजा था। उनके शब्दों में 'वासनात्मक ईर्ष्या गिरमिटिया को आक्रांत करने वाली समस्या का कारण न होकर लक्षण था। ... परिवार, शादी, जाति, सगोत्रता तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं में विचलन ही फ़ीजी की भारतीय आबादी के कष्ट और आत्महत्या का अंदरूनी कारण था।'⁵⁸ एक रुचिकर आलेख में इतिहासकार प्रभु महापात्र ने माना है कि बाग़ानों में स्त्रियों की हत्या का कारण मजदूर-व्यवस्था की भेदभाव की नीति थी जिसने उनको गँडासे जैसे भारी हथियारों से वंचित कर दिया था। उनके अनुसार, 'बाग़ानों में श्रम विभाजन ने स्त्रियों को निराई-गुड़ाई जैसे प्राथमिक कार्यों में लगाया, जबकि भारी काम, जिसमें कटार, फावड़ा, तथा बेलचा आदि की ज़रूरत होती है, में मर्दों को लगाया। अतः किसी पुरुष द्वारा हमले के समय स्त्रियाँ अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो गयीं।'⁵⁹

इन विद्वानों से भारतीय मर्द की पितृसत्तात्मक मानसिकता अनदेखी रह गयी है जो की बाग़ानों में अनेक हत्याओं के पीछे मौजूद थी। उपनिवेशों में पारम्परिक पितृसत्तात्मक बंधन से स्त्रियों की आजादी

⁵⁴ चार्ल्स फ़्रियर ऐंड्रूज़ (1871-1940) इंग्लैण्ड में पैदा हुए थे। 1896 में पादरी बने, ख़राब सेहत के कारण 1899 में यह पेशा छोड़ कर 1904 में सेंट स्टीफ़ेंस कॉलेज, दिल्ली में शिक्षक बन कर भारत आ गये। गोखले की सलाह पर दक्षिण अफ़्रीका की यात्रा के दौरान गाँधी के घनिष्ठ मित्र बन गये। तदनंतर भारतीय आजादी के आंदोलन के साथ सक्रिय हुए। विलियम विंस्टेनले पिअरसन (1881-1923) एक ईसाई मिशनरी और भारतीयों के समर्थक थे। उस समय वे शांतिनिकेतन में शिक्षक थे।

⁵⁵ सी.एफ.ऐंड्रूज़ और डब्ल्यू.डब्ल्यू. पिअरसन (1916)।

⁵⁶ वही : 12.

⁵⁷ वही : 19.

⁵⁸ बृज वी लाल, *चलो जहाज़ी*, वही : 218

⁵⁹ पी.पी. महापात्र (1995) : 227 -260.

त्रिनिडाड के पोस्टकार्ड पर छपी भारत की दो गिरमिटियाँ स्त्रियाँ



बाग़ानों में एक आज़ाद दुनिया थी जो उन पितृसत्तात्मक बंधनों से मुक्त थी जो भारत में लैंगिक संबंधों को आकार देती थी। बाग़ानों में तुलनात्मक रूप से लैंगिक बराबरी मिली हुई थी जिसके तहत स्त्रियों को अपना साथी चुनने की आज़ादी थी। जब कभी भी किसी स्त्री को अपने पति या प्रेमी से समस्या होती, वो तलाक़ लेने या अलग होने को आज़ाद थी जो कि भारत में आसान नहीं था। बाग़ानों की व्यवस्था ने अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के प्रतिबंध को भी तोड़ दिया था। बाग़ानों में अक्सर जोड़ों की आपसी रज़ामंदी ही विवाह का आधार थी। भारतीय राष्ट्रवादी ऐसी बातों से बहुत विचलित थे।

से बहुत सारे पुरुष मज़दूर हताशा और तनाव में थे। बाग़ानों में एक आज़ाद दुनिया थी जो उन पितृसत्तात्मक बंधनों से मुक्त थी जो भारत में लैंगिक संबंधों को आकार देती थी। बाग़ानों में तुलनात्मक रूप से लैंगिक बराबरी मिली हुई थी जिसके तहत स्त्रियों को अपना साथी चुनने की आज़ादी थी। जब कभी भी किसी स्त्री को अपने पति या प्रेमी से समस्या होती, वो तलाक़ लेने या अलग होने को आज़ाद थी जो कि भारत में आसान नहीं था। बाग़ानों की व्यवस्था ने अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के प्रतिबंध को भी तोड़ दिया था। बाग़ानों में अक्सर जोड़ों की आपसी रज़ामंदी ही विवाह का आधार थी। भारतीय राष्ट्रवादी ऐसी बातों से बहुत विचलित थे। ऐंड्रूज़ ने लिखा :

तलाक़ भी उतने ही आम थे। स्त्रियाँ गहनों के लिए अपने पतियों को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती थीं। जैसे वे चाहती थीं वैसे रहती थीं और जो चाहती थीं वह करती थीं। जाति और धर्म एक अराजकता में मिश्रित हो गये थे। हिंदू युवतियाँ विवाह के लिए मुसलमानों को बेच दी जाती थीं और इसका विलोम भी सच था। मेहतर के बच्चों की शादी कभी कभी ब्राह्मण से हो जाती थी ... प्रवसन विभाग की शादियों को भारतीय *मारिट* आवश्यक था, इसके अलावा और कुछ भी क़ानूनी नहीं था।⁶⁰

ऐंड्रूज़ के रपट ने 'ऑनर किलिंग' की अनेक घटनाओं को उजागर किया जिसमें अपना धर्म निभाने और पारिवारिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए मर्दों द्वारा अपना साथी स्वयं चुनने के कारण स्त्रियों की हत्या कर दी गयी थी। ऐंड्रूज़ और पिअरसन के लिए नैतिक पतन सबसे दुखद था। उन लोगों ने कहा कि कुली बस्ती में हिंदू महिलाओं के पास सँजोने के लिए अपना घर नहीं था और उन लोगों ने अपने पुराने घर की हर बात, यहाँ तक कि, धर्म का भी परित्याग कर दिया था।

कुल मिलाकर ऐंड्रूज़ और पिअरसन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि गिरमिट प्रथा ने भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को तोड़ दिया और इससे एक नये समाज का जन्म हुआ

⁶⁰ ऐंड्रूज़ और पिअरसन, वही : 35.

जहाँ विवाह के लिए जाति और धर्म का बंधन नहीं था। उनके लिए यह भारतीय संस्कृति और नैतिकता का पतन था। ऐसी चीजें हिंदू धर्म और भारत के आत्मगौरव के लिए खतरे के रूप में देखी गयीं। स्त्रियों के कम अनुपात, गिरमिटियों के बीच वासनात्मक ईर्ष्या और ऑनर किलिंग को उजागर करने के लिए ऐंड्रूज़ और पिअरसन ने स्त्री की यौनिकता को केंद्र में रखा और तर्क दिया कि इन स्त्रियों ने अपनी 'नैतिकता' खो दी थी। यद्यपि बागानों में स्त्रियाँ काम, वेतन और अधिकारों के हिसाब से पुरुषों के बराबर थीं, लेकिन ऐंड्रूज़ और पिअरसन ने उन पर सिर्फ यौनिकता की दृष्टि से विचार किया।

गाँधी, आर्यसमाज और गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ़ गोलबंदी

1913 में भारत के नये गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने जेम्स मकनील और चिमनलाल के नेतृत्व में विभिन्न उपनिवेशों में गिरमिटियों की हालात की जाँच के लिए एक कमेटी बनायी। मैकनील और चिमनलाल भारत सरकार द्वारा जमैका, ब्रिटिश गुयाना, फ़ीजी तथा डच उपनिवेश सूरीनाम व डच गुयाना के हालात की जानकारी के लिए भेजे गये थे।⁶¹ उन्होंने वहाँ बागान के प्रबंधकों, संरक्षकों, सरकारी अधिकारियों, गिरमिटियाओं तथा पूर्व गिरमिटियाओं से पूछताछ की। उन्होंने अपनी रपट में इस प्रथा की कुछ बुराइयों तथा अनेक अच्छाइयों की ओर संकेत किया। यह रपट 1914 में प्रकाशित हुई लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए। श्रीनिवास शास्त्री ने 1916 में कांग्रेस के तीसवें अधिवेशन में कहा :

दूसरी रपटों की तरह इसमें भी आपको कुछ तथ्य ... कुछ सांख्यिकी और सबसे अधिक भाग उस चीज़ का है जिसे 'वाइटवॉश' कहा जाता है, मिलेगा।⁶²

अनेक अखबारों ने भी इस रपट की आलोचना की। संयुक्त प्रांत के अखबार *जमाना* ने लिखा, 'गिरमिटियाओं की हालात से विदेश में बसे सभी भारतीयों की हैसियत घटी है। *जाम-ए-जमशेद* ने रपट की समीक्षा करते हुए गिरमिट प्रथा की आलोचना की। *लीडर* ने कहा कि व्यापक सुधार ही निराकरण है, छोटे-मोटे क्रम पर्याप्त नहीं हैं।⁶³

भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस प्रथा के खिलाफ़ अब अपने आंदोलन को तीव्र कर दिया। 28 अक्टूबर, 1915 को गाँधी ने बम्बई में एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए मैकनील-चिमनलाल रपट की आलोचना इस तरह की :

भद्र और सहृदय वाइसराय भारत की विधि संहिता से घृणित गिरमिट प्रथा को हटाना चाहें लेकिन उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उनके द्वारा बनाई मैकनील-चिमनलाल कमेटी की रपट के दो मोटे खण्ड थे। भले ही सभी उसके उबाऊ पन्नों को न पढ़ें, लेकिन जो गिरमिट प्रथा की हकीकत जानते थे, उनके लिए यह गहरी रुचि का मामला था। ... रपट की सिफ़ारिश थी कि यह प्रथा वैसी ही चलानी चाहिए जैसी चल रही थी। ... और उसकी संस्तुति से पता चला कि फ़ीजी, जमैका, गुयाना और दूसरे उपनिवेशों में आज तक चलने वाली गिरमिट प्रथा को उसके वास्तविक रूप से एक मिनट भी अधिक नहीं चलने दिया जा सकता।⁶⁴

⁶¹ जेम्स मकनेल (1869-1938) 1890 से 1915 तक इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे और सेवानिवृत्त होनेवाले थे। राष्ट्रवादी तथा अखण्ड आयरलैण्ड के समर्थक होने के नाते उन्होंने बाद में आयरलैण्ड की आजादी के लिए काम किया। देखें, जॉन एल. हिल (1980). चिमनलाल संयुक्त प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय व्यापारी हितों के प्रतिनिधि राय नन्थीमल बहादुर, सी.आई.ई. के भतीजे थे। विशेष जानकारी के लिए देखें, चौफ़ सेक्रेटरी, यूनाइटेड प्रोविंसेज, टू कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री; 25 जुलाई 1912, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया, सी ऐंड आई, एमिग्रेशन, नवम्बर 1912, अ प्रोसिडिंग्स, 22-26.

⁶² रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टीथ आईएएनसी, 1915 (बॉम्बे, 1916) : 83.

⁶³ *जमाना*, दिसम्बर, 1914; आरएनएन, यूपी, 1915, जेड.ए. जमशेद, 23 फ़रवरी, 1915; आरएनएन, 1915; *लीडर*, 1 जुलाई, 1915; आरएनएन, यूपी, 1915.

⁶⁴ द बॉम्बे *क्रॉनिकल*, 29-10-1915, सीडब्ल्यूएमजी, खण्ड 15, 21 मई, 1915; 31 अगस्त, 1917 : 55-56.



उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूरीनाम के खेतों में गन्ना काटते हुए भारतीय गिरमिटिया मजदूर

गाँधी ने आगे लिखा : 'वास्तव में गिरमिटिया अर्ध-दासत्व की स्थिति है। पहले के दासों की तरह गिरमिटिया मजदूर भी अपनी आज्ञादी नहीं खरीद सकता। एक दास को काम न करने के लिए दण्डित किया जाता था; वैसे गिरमिटिया भी। यदि वह लापरवाह है एक दिन काम नहीं करता, अगर जुवान लड़ाता है तो उसे इनमें से किसी भी अपराध के लिए जेल जाना पड़ेगा। एक दास को एक मालिक से दूसरे को बेचा जा सकता था; वैसे ही गिरमिटिया को भी। दास के बच्चे दासत्व को विरासत में पाते थे; कुछ उसी तरह गिरमिटिया के बच्चे एक क्रानून के अधीन हैं जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए पारित किया गया है। ... इसके सिवा यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि गिरमिटिया प्रथा दासप्रथा के उन्मूलन के बाद आयी और गिरमिटिया मजदूर को दासों के स्थान पर नियोजित किया गया।'

अपने लम्बे भाषण में विलियम हंटर को उद्धृत करते हुए गाँधी ने कहा कि गिरमिटिया प्रथा अर्धदासत्व है।⁶⁵ गाँधी ने कहा कि मजदूरों के हाथ और पैर नियोक्ता से बंधे हैं और प्रवासियों के 'रक्षक' उसी वर्ग से आते हैं जिससे बागान मालिक। गाँधी के अनुसार, इस व्यवस्था ने भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को लूट लिया है और यह प्रथा भारत की राष्ट्रीय गरिमा और विकास में बाधक है।⁶⁶

गुजराती पत्रिका *समालोचक* के दिसम्बर के अंक में गाँधी ने 'इण्डेंचर या स्लेवरी' शीर्षक से एक निबंध लिख गिरमिट प्रथा की व्याख्या इन शब्दों में की :

गिरमिट अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है।⁶⁷ लेकिन इस पद का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे जिस अर्थ का बोध होता है वह एग्रीमेंट से नहीं। इसके लिए इस भाषा में दूसरा शब्द है। पाँच साल के अनुबंध वाले जिस दस्तावेज के आधार पर हजारों मजदूर प्रवासी बनते थे और आज भी नटाल और दूसरे देशों में प्रवासी होकर जा रहे हैं उसे मजदूर और नियोक्ता द्वारा गिरमिट

⁶⁵ सर विलियम हंटर (1840-1900) 25 साल तक भारत में सेवारत रहे, वे भारतीयों की आकांक्षाओं से सहानुभूति रखते थे और लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी के सदस्य थे।

⁶⁶ द *बॉम्बे क्रॉनिकल*, 29-10-1915 सीडब्ल्यूएमजी में उद्धृत, खण्ड 15 : 56-57.

⁶⁷ एग्रीमेंट > ग्रीमेंट > गीरमित > गिरमिटिया. गिरमित और गिरमिटिया शब्द फ्रीजी के अनानुबंधित मजदूरों द्वारा प्रयुक्त हुआ था. वे अपने आवेदन में अपने को गिरमिटिया कहते थे. देखें, नाजिरात का आवेदन, सी.एस.ओ.एम.पी.850/1903, एनएएफ; भारतीय राष्ट्रवादियों में गाँधी इस शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे. बृज वी. लाल (1980) ने अपने पीएचडी शोध *लीवज़ ऑफ़ बनयान ट्री : ओरिजिन ऐंड बेकग्राउंड ऑफ़ फ्रीजीज नार्थ इण्डिया इण्डेंचर्ड इमिग्रेंट्स 1879-1916*, ऑस्ट्रेलियन नेशनल युनिवर्सिटी में कहा कि यह शब्द उनके

कहा जाता है। गिरमिट के आधार पर प्रवासी होने वाला मजदूर गिरमिटिया है। हर साल करीब 12,000 ऐसे गिरमिटिया मजदूर भारत से मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के पास फ़ीजी द्वीप, दक्षिण अमरीका के पास जमैका, ब्रिटिश गुयाना और त्रिनिदाद के लिए प्रवासित होते हैं।⁶⁸

गाँधी ने आगे लिखा :

वास्तव में गिरमिटिया अर्ध-दासत्व की स्थिति है। पहले के दासों की तरह गिरमिटिया मजदूर भी अपनी आजादी नहीं खरीद सकता। एक दास को काम न करने के लिए दण्डित किया जाता था; वैसे गिरमिटिया भी। यदि वह लापरवाह है एक दिन काम नहीं करता, अगर जुबान लड़ता है तो उसे इनमें से किसी भी अपराध के लिए जेल जाना पड़ेगा। एक दास को एक मालिक से दूसरे को बेचा जा सकता था; वैसे ही गिरमिटिया को भी। दास के बच्चे दासत्व को विरासत में पाते थे; कुछ उसी तरह गिरमिटिया के बच्चे एक कानून के अधीन हैं जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए पारित किया गया है। दोनों में केवल यही अंतर है कि दासत्व जीवन के अंत के साथ ही समाप्त होता था जबकि गिरमिटिया कुछ खास वर्षों के बाद। इसके सिवा ये भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि गिरमिटिया प्रथा दासप्रथा के उन्मूलन के बाद आया और गिरमिटिया मजदूर को दासों के स्थान पर नियोजित किया गया।⁶⁹

यहाँ गाँधी गोखले और दूसरे राष्ट्रवादियों के गिरमिट प्रथा संबंधी विचारों से भिन्न तथा उन्नीसवीं सदी के मानवतावादियों जैसे जॉन रसेल, जॉन सकॉबल के दृष्टिकोण के करीब हैं जिन्होंने पहले ही इस प्रथा की आलोचना की थी और इसे दास-प्रथा का ही रूप कहा था। गाँधी ने इस प्रथा की आलोचना नैतिक और धार्मिक भारतीयों को अनैतिक बनाने के लिए भी की। उन्होंने कहा :

जिन देशों में वे प्रवास करते हैं वहाँ वे कोई नैतिक या धार्मिक शिक्षा नहीं पाते। उनमें अधिकांश अविवाहित हैं। गिरमिटिया को ढोने वाले हर जहाज़ पर 40 फ़ीसदी स्त्रियों को ले जाने का नियम है। इनमें से कुछ स्त्रियाँ बदनमा होती हैं ... सुदूर जाने पर उनको पीने की लत लग जाती है। जो स्त्रियाँ, भारत में, शराब को कभी छूती नहीं वो कभी-कभी नशे में बेहोशी की हालत में सड़कों पर लुढ़की मिलती हैं।⁷⁰

यह सुस्थापित हो चुका है कि जो कृषक भारत छोड़ कर गये थे उनमें समाज के हर वर्ग के लोग थे। उच्च व मध्यम श्रेणी के लोग अधिक थे। बृजलाल ने दिखाया है कि फ़ीजी जाने वाली सभी स्त्रियों में 31.4% मध्यवर्ती जातियों से, 29.1% निचली जातियों से, 9% क्षत्रिय, 4.1% ब्राह्मण और 16.8% मुसलमान थीं।⁷¹ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि बहुत बार बागानों में जो अविवाहित के रूप में पंजीकृत होते थे, वे विवाहित होते थे और उनमें से बहुत से शादी के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि वे भारत में अपनी पत्नी को छोड़ कर गये होते थे और अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस लौटने के ख्वाहिशमंद थे। जॉन केली ने माना है कि गाँधी ने पूँजीवाद की आलोचना का विचार पश्चिमी पूँजीवाद विरोधी लेखकों जैसे रस्कन, टॉलस्टॉय आदि से उधार लिया था और

पितामह द्वारा प्रयुक्त हुआ था। क्रिस्सा-कहानी के आधार पर बृजलाल को लगता है कि ये फ़ीजी के मजदूर थे जिन्होंने अंग्रेज़ी के एग्रीमेंट के भोजपुरीकरण के रूप में इसका उपयोग किया। यह दिलचस्प है कि विख्यात भाषाविद् और उत्तर भारतीय कृषक जीवन के संग्राहक ग्रियर्सन ने ऐसे शब्द का प्रयोग बिहार के गिरमिटिया मजदूर के प्रवसन पर लिखी अपनी विख्यात इन्व्वायरी रिपोर्ट में नहीं किया। पिचर और ग्रियर्सन ने ऐसे अनेक शब्दों जैसे रिक्कूट के लिए अरकाटी, मॉरिशस के लिए मिरिच, त्रिनिदाद के लिए चिनिचाट आदि का जिक्र किया, लेकिन एग्रीमेंट के लिए गिरमिट या गिरमिटिया का अथवा इस प्रथा के लिए अनपढ़ों के किसी दूसरी भाषा का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि सांडर्सन, मैकनील-चिमनलाल भी अपनी जाँच रिपोर्ट में ऐसे किसी शब्द का जिक्र नहीं करते। ऐंड्रूज़ और पिअरसन अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट में गिरमिटिया भारतीयों के लिए गिरमिटवाला शब्द का प्रयोग करते हैं।

⁶⁸ समालोचक, दिसम्बर, 1915 इन सीडब्लूएमजी, खण्ड 15 : 74.

⁶⁹ वही : 74.

⁷⁰ वही : 75.

⁷¹ बृज वी. लाल (2004) : 137

कांग्रेस पार्टी मिशनरियों, दास-प्रथा-विरोधियों तथा यूरोपीय गिरमिट-विरोधियों के साथ गिरमिटिया विरोधी अभियान में शामिल हो गयी।⁷²

आर्य समाज और कलकत्ता के मारवाड़ी समुदाय ने भी गिरमिट विरोधी आंदोलन का समर्थन किया।⁷³ मारवाड़ी संगठन ने अरकाटियों द्वारा फँसाए लोगों को क्रानूनी सहायता देना शुरू किया। 1910 के शुरुआत में एक घटना ने मारवाड़ी समुदाय को गिरमिट विरोधी अभियान में सक्रियता से शामिल होने को मजबूर कर दिया। इसके पीछे एक मारवाड़ी महिला लक्ष्मी का प्रसंग है जिसे अपने पति के घर आगरा से अजमेर जाते समय एक अरकाटी द्वारा फँसा लिया गया था।⁷⁴ इस घटना के बाद मारवाड़ी समुदाय ने मारवाड़ी सहायक समिति के तहत गिरमिट प्रथा और भर्ती के खिलाफ दबाव बनाना शुरू कर दिया।⁷⁵ गिरमिट प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में आर्य समाज का असर संयुक्त प्रांत और बिहार में तथा मारवाड़ी सहायक समिति का प्रभाव कलकत्ता और उसके आस-पास के इलाकों में था।

14 अगस्त, 1914 को बनारस के सरकारी प्रवसन एजेंट ने अपने कार्यालय को गिरमिट प्रथा की समाप्ति के लिए होने वाले एक सभा के बारे में लिखा।⁷⁶ उसने चेतावनी दी कि ब्रिटेन के दास-प्रथा विरोधी समाज के तर्ज पर एक संगठन बना है जिसका लक्ष्य गिरमिट प्रथा का उन्मूलन है। इस संगठन के सदस्य जाति आग्रहों वाले थे जिनका गुप्त 'राजनीतिक लक्ष्य' था। वे गिरमिटिया प्रथा के समर्थन में कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे और इस आधार पर इस प्रथा का विरोध करते थे कि समुद्र पार करने से जाति चली जाती है।⁷⁷ इस संगठन के सदस्य भर्ती वाले जिलों में परचा बाँट रहे थे और लोगों को अरकाटियों से प्रभावित न होने की चेतावनी दे रहे थे। प्रवसन अधिकारी ने इसके प्रमाण के रूप में गिरमिट विरोधी पर्चे को भी संलग्न किया जिसे उन जिलों में बाँटा जा रहा था :

सावधान! सावधान!
डिपो वालों से सावधान!
यह नौकरी नहीं बल्कि बहकाना है
उनके बहकावे में मत आओ, मूर्ख बन जाओगे
वो तुम्हें समुद्र पर ले जाएँगे
जमैका फ्रीजी डमरा मॉरिसस
ब्रिटिश गयाना त्रिनिदाद हॉंडुरस
ये टापू नहीं जेल हैं
बचो! इन डिपो वालों से बचो!

गिरमिटिया विरोधी संगठन के संयुक्त प्रांत के सदस्य भी साथ-साथ बाजारों, हाटों में प्रवसन की निंदा करते हुए भाषण देते थे। उन्होंने इलाहाबाद और दिल्ली में अपनी शाखाएँ बना ली थीं और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस तथा उनके नजदीकी इलाकों को भाषण का केंद्र बनाया क्योंकि वहाँ के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। अरकाटियों पर हमला भी किया गया। मार्सडेन ने ऐसी घटनाओं

⁷² जॉन.डी. केली (2005), वही : 63.

⁷³ मारवाड़ी वैश्य जाति के होते हैं जो राजस्थान के मारवाड़ से निकल कर पूरे भारत में फैले। कलकत्ता में 1897 के बाद ये लोग बेहद अमीर, सफल व्यापारी और उद्यमी के रूप में उभरे और मारवाड़ी के नाम से लोकप्रिय हुए, देखें, ऐनी हार्डिंग (2004). मारवाड़ी चौदहवीं सदी से घूमने वाला व्यापारी और उद्यमी समुदाय रहा है, देखें, बनारसी दास (1943).

⁷⁴ लक्ष्मी के केस को विस्तार से जानने के लिए देखें, जीओआई, सी एंड आई, एमिग्रेशन, एनओएस. 30-33 अप्रैल, 1916; एनएआई.

⁷⁵ मारवाड़ी सहायक समिति की स्थापना बंगाल के अमीर मारवाड़ियों द्वारा विपरीत परिस्थितियों में मारवाड़ी युवकों के शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक उत्थान के लिए और असहाय मारवाड़ी परिवारों की सहायता के लिए किया गया था। इसका कार्यालय 61 कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता था। देखें जीओआई, सीआई, एमिग्रेशन, (बी) प्रोसीडिंग्स, एनओएस. 30-33, अप्रैल, 1916; एनएआई.

⁷⁶ आईओआर/पी/9778, ब्रिटिश लाइब्रेरी; गवर्नमेंट एमिग्रेशन एजेंट, बनारस टू कॉलोनियल ऑफिस, 23 जुलाई, 1914; जीओआई, सी एंड आई, एमिग्रेशन, (ए) प्रोसीडिंग्स, दिसम्बर, 1915; एन ए आई.

⁷⁷ वही.

को औपनिवेशिक प्रवसन के खिलाफ धर्मयुद्ध कहा और बताया कि इससे प्रवसन को इच्छुक लोगों की संख्या में थोड़ी कमी भी आयी।⁷⁸

कलकत्ता में मारवाड़ी सहायक समिति के सदस्य प्रवासियों के नज़दीकी रिश्तेदारों से मिलकर परिवार के लोगों को प्रवसन पर भेजने के लिए हतोत्सहित करते थे। कभी-कभी ये मारवाड़ी गिरमिटिया मज़दूरों को देहात से कलकत्ता लाने वाली रेलगाड़ी पर छपा भी डालते थे। मार्सडेन के विचार में, ये संगठन या तो भारत के राजनीतिक-सामाजिक उत्थान के लिए बनी संस्था आर्य समाज के नेतृत्व में या उसके उकसाने पर बनाए गये थे। आर्य समाज के लक्ष्य को समझाने के लिए मार्सडेन ने वेलेंटाइन चिरोल के *इण्डियन अनरेस्ट* को उद्धृत किया है :

यद्यपि आर्य समाज के नेता शिक्षा और कभी-कभी संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं, पर वे जानते हैं कि कैसे अपने धार्मिक सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाकर नीची जातियों और विशेष रूप से कृषिरत आबादी को आकर्षित किया जाए। इसमें सबसे दुखद बात देशी सिपाहियों विशेषकर जाटों और सिखों, जिनसे कई मायनों में उनका जुड़ाव है, के बीच उनका मिथ्या प्रचार है। आर्य समाजियों का मुख्य प्रयास भर्ती को रोकना है और उनके गुप्तचर देशी सिपाहियों के बीच भी मौजूद हैं।⁷⁹

यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लेने वाले अनेक सिपाही जेल से बचने के लिए गिरमिटिया भर्ती के लिए अपना नाम लिखा चुके थे। कई मामलों में उन लोगों ने पहचान छुपाने के लिए अपना नाम और अपनी जाति बदल ली थी।⁸⁰ आर्य समाज चाहता था कि ये सिपाही और इनके वंशज भारत लौट जाएँ। गिरमिटिया विरोधी आंदोलन का प्रभाव बिहार में भी था। बड़ी संख्या में पर्वे बाँटे गये, गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ भाषण हुए और पटना, मुज़फ़्फ़रपुर तथा दरभंगा में अरकाटियों के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी गयी।⁸¹ यहाँ के मुख्य नेता स्वामी सत्यदेव थे जिन्होंने पर्वे प्रकाशित किये और बाँटवाए तथा मुज़फ़्फ़रपुर और दरभंगा में गिरमिटिया के विरुद्ध भाषण दिया।⁸² मुज़फ़्फ़रपुर में गिरमिटिया के खिलाफ सक्रिय दूसरे नेता पुरुषोत्तमदास थे। उन्होंने उपनिवेशों में गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ हिंदी में बीस हजार पर्वे छापे। इन्हें बड़े पैमाने पर ज़िलों में बाँटवाया गया। एक पर्चा इस तरह है :

बहकाने वालों से बचिए
सावधान सावधान सावधान
यह नौकरी नहीं बंधन है
उनकी बहकावे में ना आएँ
वो आपको तबाह कर देंगे
पैसे की बजाय विपत्तियाँ बरसेंगी
वो आपको समुद्र पार ले जाएँगे

मालवीय प्रस्ताव और गिरमिटिया प्रथा का अंत

गिरमिट के खिलाफ प्रचार और गोलबंदी के इस गर्म माहौल में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय गिरमिट प्रथा के उन्मूलन के लिए 20 मार्च, 1916 को भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्ताव पेश किया। इस अवसर पर मालवीय ने इस प्रथा की आलोचना करते हुए उन पुरानी बातों को दुहराया जो

⁷⁸ वही.

⁷⁹ वही.

⁸⁰ देखें, मरीना कार्टर ऐंड क्रिस्चियन बेट्स (2010) : 51-73.

⁸¹ देखें, लोटर ऑफ़ सेवथ जून, 1915; रॉची, इ.एल.एल. अहमद, सेक्रेटरी जीओबी ऐंड ओडीशा, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट टू सेक्रेटरी, जीओआई, सी ऐंड आई, एमिग्रेशन, (ए) प्रोसीडिंग, एन ओ एस 43, दिसम्बर, 1915.

⁸² वही.



राष्ट्रवादियों ने पहले के प्रस्तावों के समय कहा था। उदाहरण के लिए, उन्होंने अनुबंधकों और अनुबंधित 'साधारण ग्रामीणों' के बीच सम्प्रेषण और क्रान्ती-साक्षरता के अंतर की बात पर जोर दिया और इस प्रथा के क्रान्ती प्रावधानों के आधार को अन्यायपरक बताया। ऐसी व्यवस्था में काम करने के लिए यदि एक बार कोई ग्रामीण / किसान बंध गया तो वह आजाद नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई साधन नहीं था।

गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ़ उनका दूसरा तर्क इसके सेवा के स्वरूप को लेकर था जिससे गिरमिटिया को सहमत होना पड़ता था। कुलियों से अक्सर वह काम नहीं कराया जाता था जिसके लिए उन्हें अनुबंधित किया गया था। मालवीय ने कहा कि कुलियों को बूचड़खाना में मांस काटने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ उन्होंने ऐंड्रूज़ को पुनः कोट किया है :

कृषि कार्य हेतु लाए गये एक निम्न जाति के हिंदू को बूचड़खाने में मांस काटने को दिया गया। हमारे पूछने पर कि हिंदू होने के बावजूद वो ऐसा काम कैसे कर सकता है, उसने कहा कि वो इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे ऐसा करने का आदेश दिया गया था।

एक पूर्व गिरमिटिया, कबीरपंथी को ऐसे ही काम करने को मजबूर किया गया था। उसने हमें बताया कि वो ऐसा करने से लगातार मना किया और उसे जेल में डाल दिया गया। हमने उसका रिकॉर्ड देखा और पाया कि प्रवास के दौरान उसे 692 दिनों का कारावास दिया गया था।⁸³

उन्होंने कहा कि प्रवासियों को ले जाने वाले जहाज़ पर प्रवासी बहुत खराब हालात के खिलाफ़ विरोध करते थे और कभी-कभी भागने के लिए हुगली नदी में कूद जाते या समुद्र जाकर आत्महत्या कर लेते थे। उन्होंने कार्य के घंटों को, विशेषकर महिलाओं के लिए, निर्दयी बताया। उन्होंने दावा किया की छोटे बच्चे वाली महिलाओं को भी दिन में 7 से 10 घंटा काम करना पड़ता था। जिन गिरमिटियाओं ने विरोध किया उनकी दिहाड़ी कम कर दी गयी और उनका भोजन महंगा कर दिया गया।

उनकी आलोचना का दूसरा आधार बड़ी संख्या में गिरमिटियों का अभियोजन था। भारतीयों को न सिर्फ़ अपराधिक आचरण बल्कि दूर व्यवहार और गालियों के लिए भी अभियोजित किया गया था।⁸⁴ सैंडर्सन कमेटी और 1909 और 1913 की दो कमिटियों के आँकड़ों के आधार पर मालवीय ने दिखाया कि इस प्रथा में ओवरसीयर के हाथ में बहुत शक्ति थी जो चुप रहने और सर झुका कर आज्ञा पालन के अलावा सब कुछ को अपराध समझते थे। मालवीय ने महिलाओं की कमी के कारण बढ़ती अनैतिकता, भारतीय विवाह संस्था की अवैधता जैसी महिलाओं की यौनिकता के अनेक सवालों को उठाया जिसके कारण बागानों में अक्सर आत्महत्या और हत्या होती रहती थीं। मालवीय के गिरमिटिया उन्मूलन के प्रस्ताव में महिलाओं की यौनिकता और राष्ट्रीय गर्व केंद्रीय तर्क थे।

यद्यपि मालवीय द्वारा दिये तर्क कुछ मामलों में वैध थे, जैसा मैंने ऊपर दिखाया है, लेकिन वे उस समय गिरमिटियाओं की समस्या और सरोकारों को सम्बोधित करने के बजाय इस प्रथा के खिलाफ़ राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार अनिच्छुक थी लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ़ जल्दी ही झुक गयी। यह उस समय हुआ जब बाग़ान मालिकों को अब और भारतीय मजदूरों की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि सिडनी मिंटज़ ने बताया है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ स्थायी रूप से रहने वालों की संख्या बढ़ गयी थी, चीनी की क्रीम गिर गयी थी और 1917 तक युरोप तथा उत्तरी

⁸³ गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया, कॉमर्स ऐंड इण्डस्ट्री, एमिग्रेशन, (ए) प्रोसीडिंग. 8 जुलाई, 1916; भारतीय गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन के लिए पण्डित मदन मोहन मालवीय का प्रस्ताव (अब से मालवीय प्रस्ताव) 1916 : 4.

⁸⁴ इसी विषय पर दीपेश चक्रवर्ती ने कोलकता के मिलों में अधिकारियों के कार्य करने के तरीकों की जाँच की है और दिखाया है कि कैसे प्रबंधकों की भाषा व्यवहार और आदतों में खराबी के कारण कामगारों को उनके खिलाफ़ खड़ा कर दिया, उन्होंने कामगारों से 'माई-बाप' का रिश्ता जबरिया बनाना चाहा. दीपेश चक्रवर्ती : 124 -146.





गिरमिटिया उन्मूलन अभियान ने दास प्रथा उन्मूलन आंदोलन को प्रतिबिम्बित किया। ... मालवीय प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों का पहला बड़ा प्रस्ताव था जिसे इण्डियन लेजिस्लेटिव काँसिल ने पारित किया था— यद्यपि इसका आर्थिक प्रभाव ऐसा नहीं था कि इसे स्वीकार करने में अधिकारियों को कोई समस्या हो। उन्होंने केवल अपने हित, राजनीतिक वर्चस्व और आर्थिक लाभ का संवर्धन किया था। इस मामले में उन्होंने सम्भ्रांत भारतीय राष्ट्रवादियों को बगैर किसी विशेष प्रयास के अपनी तरफ़ करने में सफलता पा ली थी। इस मामले में सिर्फ़ भारतीय मजदूरों को हानि हुई क्योंकि उनको रोज़गार के अवसर से हाथ धोना पड़ा।

अमेरिका में चीनी उद्योग का ख़ूब विकास हुआ था। इससे दुनिया भर में बाग़ानी व्यवस्था में कमी आयी और बाग़ानी से 'केंद्रीय मिल व्यवस्था' की दिशा में विकास हुआ जहाँ खेती छोटे पैमाने के मालिकों के हाथ में चली गयी।⁸⁵ अतः ब्रिटिश सरकार अपेक्षाकृत जल्दी झुक गयी और उसने मालवीय के गिरमिटिया उन्मूलन प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वे लोग दूसरे रूप में (गिरमिटिया के बजाय किसी अन्य अनुबंध पर) भारतीय मजदूरों के प्रवसन को सुनिश्चित करेंगे। जब भारत सरकार और औपनिवेशिक सरकार अनेक अधिकारियों से गिरमिटिया प्रथा का विकल्प खोजने को कह रही थी उस समय भारत भर में इस प्रथा के खिलाफ़ विरोध बढ़ रहा था।⁸⁶ 9 जनवरी को इलाहाबाद में भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू ने एक महती सभा को सम्बोधित करते हुए कहा :

मैं एक महिला हूँ, यद्यपि आप अपनी माताओं और बहनों के अपमान को महसूस न कर सकें, मैं एक महिला होने के कारण उस अपमान को समझती हूँ जो मेरी बहनों को दिया गया है ... ऐसी महिलाएँ जिनकी स्मृति में सीता है जिसने अपने मान को चुनौती मिलने पर बर्दाश्त नहीं किया और धरती माता को बदले के लिए पुकारा और उसको बदला दिलाने के लिए धरती फट गयी ... मैं ऐसी महिलाओं के लिए आयी हूँ जिनकी स्मृति में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी है जिसने अपमान के बजाय चिता में जलना बेहतर समझा। मैं उन महिलाओं के लिए बोलने आयी हूँ जो सावित्री - जिसने मौत को अँगूठा दिखाकर उसके दरवाजे से अपने पति को वापस लौटाया था - की तरह अपने अवर्णनीय प्रेम की शक्ति से विदेशी उपनिवेशों में पशुता के स्तर तक गिर चुके अपने पतियों को वापस लौटा लाई हैं।

⁸⁵ सिडनी मिंटज़ (1985).

⁸⁶ ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग द्वारा पारित प्रस्ताव, लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1916; द बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, 31 दिसम्बर, 1916; इलाहाबाद, 1917; तूतीकोरन, 30 जनवरी, 1917; मद्राँ, 31 जनवरी, 1917; यूनाइटेड प्रोविंसेज़ कांग्रेस कमेटी, 31 जनवरी, 1917; बेलगाम, 3 फ़रवरी, 1917; पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग, 4 फ़रवरी, 1917; त्रिचिनापल्ली, 4 फ़रवरी, 1917; होम रूल लीग की महिला शाखा,



...मैं आपसे हत्या की शिकार उन बहनों- जिनके बारे में ऐंड्रूज़ ने मुझे बताया⁸⁷ — के नाम पर पूछती हूँ जो अपमान की ज्वाला से बचने के लिए मौत के मुँह में हैं। मैं आपसे उन दो भाइयों के नाम पर पूछती हूँ जिन्होंने अपनी बहन का खून बहाकर अपने परिवार और धर्म की रक्षा की लेकिन उसके मान को दूषित नहीं होने दिया।⁸⁸

जिसे हम 'ऑनर किलिंग' कहेंगे, यहाँ उसकी एक महिला राष्ट्रवादी नेत्री द्वारा प्रशंसा होती है। सरोजिनी नायडू औरत की हत्या को शहादत कह कर उचित ठहराती हैं, बशर्ते वह भारतीय पितृसत्तात्मक रिवाजों की वाहक बनी रहे। एंड्रिया मेजर ने सती और भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहा भी है, 'राष्ट्रवादी नयी महिला के त्याग, पवित्रता और संयम के लिए सती एक शानदार उदाहरण है।' इसलिए गिरमिटिया की बहस में, स्त्री हों या पुरुष, भारतीय राष्ट्रवादी हिंदू परम्परा और भारतीय महिला की आदर्श की रक्षा के लिए औरतों की हत्या जायज़ ठहरा रहे थे।⁸⁹

जब औपनिवेशिक सरकार द्वारा गिरमिट प्रथा की समाप्ति के बारे में सोचा जा रहा था तब कवि मैथिलीशरण गुप्त ने गिरमिटिया मजदूरों के दुःख और विदेशी प्रवास में भारत को हुए नुकसान पर लम्बी कविता लिखी। उन्होंने अपनी 'किसान' शीर्षक कविता में किसानों की दयनीय हालात और उसकी मजदूरी में फ़ीजी प्रवास, अरकाटियों द्वारा अशिक्षित किसानों को दिया गया धोखा और बागानों में उनके दुःख के बारे में लिखा :

एक जन ने त्रिवेणी तीर पर मुझसे कहा
तरस मुझको आ रहा है देख के तुमको अहा!
तुम दुखों से दिखते हो, क्या तुम्हें कुछ कष्ट है?
कठिन है निर्वाह भी यह देश ऐसा नष्ट है
परंतु अब चिंता नहीं, तुम पर हुई प्रभु की दया
आज लो बस आज ही से दिन फिर दुःख मिट गया
वस्त्र-भोजन और पंद्रह का महीना, धाम भी
काम भी ऐसा की जिसमें नाम भी, आराम भी

'फ़ीजी' उपशीर्षक में वे लिखते हैं :

अधम अरकाती कहता था फ़ीजी स्वर्ग है भू पर
नभ के नीचे रह कर भी वह चला गया है ऊपर
मैं कहता हूँ फ़ीजी स्वर्ग है तो फिर नर्क कहा है
नर्क कहीं हो किंतु नर्क से बढ़ कर दशा यहाँ है

गुप्त ऐंड्रूज़ और पिअरसन की भी गिरमिटियों व कुली प्रथा की समाप्ति के लिए अथक कार्य के लिए प्रशंसा करते हैं :

दो सहृदय साहब शीघ्र वहाँ पर आये
दुःख देख हमारा चार नेत्र भर लाए

कुम्भकोणम, 7 फ़रवरी, 1917; कोकानाडा, 15 फ़रवरी, 1917; इलाहाबाद, 16 फ़रवरी, 1917.

⁸⁷ ऐंड्रूज़ ने अपनी रिपोर्ट में उस कहानी का जिक्र किया जो एक मिशनरी ने उनको सुनाई थी : एक प्रतिष्ठित हिंदू परिवार के दो भाई अपनी बहनों के अभिभावक थे. उन्होंने हिंदू रीति से उसके योग्य वर से शादी करवाई. रीति का पूरा विधान से पालन हुआ, तभी दूसरे आदमी ने हस्तक्षेप किया और एमिग्रेशन कार्यालय में मारिट के माध्यम से शादी कर ली. मारिट क्रानूनी था. हिंदू रीति की शादी अवैध हो गयी. इसकी क्षतिपूर्ति का कोई उपाय नहीं था. सुधार का कोई रास्ता न देख भाइयों ने अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद को गिरफ़्तार करा लिया. पेशी के समय उन्होंने माना कि उन लोगों ने धर्म और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा किया था. उन्हें फाँसी दे दी गयी. देखें, ऐंड्रूज़ एंड पिअरसन रिपोर्ट.

⁸⁸ सरोजिनी नायडू का भाषण 'गिरमिट दिवस : कमेमोरेंटिंग 125 इयर्स ऑफ़ गिरमिटियाज़ इन फ़ीजी', नामक पुस्तिका में संकलित किया गया, जिसका आयोजन नैशनल फ़ॉर्मर्स यूनियन ने किया था, फ़ीजी : 62.

⁸⁹ एंड्रिया मेजर (2008) : 232.

ऐंडूज - पीयरसन विदित नाम हैं उनके
मनुजोचित मंगल मनस काम हैं उनके

गुप्त ने गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग की भी प्रशंसा की है :
समझी भारत सरकार अंत में बातें
निज कुली प्रथा के साथ यह की घातें
थे बड़े लाट हार्डिंग— भला हो उनका
सह सके ना लगना न्याय दण्ड में घुन का
थी तीन नारों में जहाँ एक ही नारी
टूटी आखिर वह कुली प्रथा व्यभिचारी

एक भोजपुरी कवि बाबू रघुवीर नारायण ने एक पूरबी (भोजपुरी गीत की एक विधा) की रचना की जिसमें भारत को पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में चित्रित किया गया और रूपक के माध्यम से बताया गया कि गिरमिटिया मजदूर कैसे भारत की कल्पना करते हैं और वहाँ वापस लौटने के सपने देखते हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में जब गिरमिटिया विरोधी आंदोलन अपने शबाब पर था तब उनका 'बटोहिया' शीर्षक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ़ इण्डिया के लिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1920 में जदुनंदन सहाय से इस पूरबी गीत को अपने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया था :

सुंदर सु भूमि भैया भारत के देशवा से
मोर प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया

राष्ट्रवादी अभियान से प्रभावित होकर उन्नीसवीं सदी के मध्य के पण्डित बेनीराम के बिदेसिया की तर्ज पर अनेक लोक गीत रचे गये। बाद में भिखारी ठाकुर द्वारा बिदेसिया की पुनर्प्रस्तुति बहुत लोकप्रिय हुई जिसमें गिरमिटिया-नियोजन में धोखाधड़ी और चीनी के बागानों के कठिन जीवन को चित्रित किया गया था।⁹⁰ बिदेसिया की थीम पर लिखे एक कविता को देखा जा सकता है :

फिरंगिया के रजवा में छूटा मोर देशवा हो
गोरी सरकार चली चल रे बिदेसिया
भोली हमें देख अरकती भरमाए हो
अँगूठा लगाई गाएले पाँच साल से बिदेसिया

इस संदर्भ में गिरमिटिया उन्मूलन अभियान ने दास प्रथा उन्मूलन आंदोलन को प्रतिबिम्बित किया। यह बहुत बड़ा नैतिक अभियान था जिसका गहरा राजनीतिक महत्त्व था। मालवीय प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों का पहला बड़ा प्रस्ताव था जिसे इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल ने पारित किया था— यद्यपि इसका आर्थिक प्रभाव ऐसा नहीं था कि इसे स्वीकार करने में अधिकारियों को कोई समस्या हो। उन्होंने केवल अपने हित, राजनीतिक वर्चस्व और आर्थिक लाभ का संवर्धन किया था। इस मामले में उन्होंने सम्भ्रांत भारतीय राष्ट्रवादियों को बगैर किसी विशेष प्रयास के अपनी तरफ करने में सफलता पा ली थी। इस मामले में सिर्फ भारतीय मजदूरों को हानि हुई क्योंकि उनको रोजगार के अवसर से हाथ धोना पड़ा।

निष्कर्ष

गिरमिट प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत बागानों में भारतीय गिरमिटिया भाइयों और बहनों की कठिनाइयों और समस्याओं के कारण नहीं हुई थी। बल्कि इसका कारण उपनिवेशों, विशेषकर दक्षिण

⁹⁰ पण्डित बेनीराम भारतेन्दु हरिश्चंद्र के समकालीन और कजरी (भोजपुरी गीत का एक प्रकार) के महान रचयिता थे। 1860 के आसपास बेनीराम ने बिदेसिया शीर्षक कजरी की रचना की। देखें, दुर्गा प्रसाद सिंह, वही : 142. बीसवीं सदी के दूसरे दशक में भिखारी ठाकुर ने बिदेसिया शीर्षक नाटक की रचना की जो उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। इस नाटक की विषयवस्तु नयी ब्याहता या परिवार से जुदाई है। देखें, भिखारी ठाकुर रचनावली (2005)।



अफ्रीका, में स्वतंत्र भारतीय प्रवासियों द्वारा राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की बराबरी की इच्छा थी जिसने बीसवीं सदी की शुरुआत में विरोध की आग भड़का दी। बीसवीं सदी के पहले दशक तक गिरमिटिया मजदूर सम्भ्रांत भारतीय राष्ट्रवादियों की चिंता के केंद्र में नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका के अनानुबंधित भारतीय और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों ने प्रवासी 'भारतीय कुलियों' से अपने को अलग दिखाया। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गिरमिटिया प्रवास के विरोध के मूल में उनका भारतीय व्यापारियों और मध्यवर्गीय प्रवासियों का दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक और नागरिक क्षेत्र में 'कुली' के सामान व्यवहृत किये जाने के भय से जुड़ा था। गिरमिटिया प्रवासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में (जिस तरह इसे सार्वजनिक जीवन में ले जाया गया) इस प्रथा की शोषणवादी प्रकृति दूसरे दर्जे का मुद्दा थी किंतु बीसवीं सदी के दूसरे दशक से गिरमिटियाओं का मुद्दा अहम होने लगा जब फ्रीजी में भारतीय औरतों के साथ अभद्र व्यवहार के समाचार मिलने लगे। किंतु यह विडम्बनापूर्ण है कि काम-काजी महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में देखा गया और उनकी नैतिकता राष्ट्रवादियों और औपनिवेशिक सरकार के बीच रस्साकशी का कारण बन गयी।

संदर्भ

- ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग द्वारा पारित प्रस्ताव, लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1916.
- आशुतोष कुमार (2013), 'एंटी-इण्डेंचर्ड भोजपुरी फॉक सांग ऐंड पोएम फ्रॉम नॉर्दर्न इण्डिया, मैन इन इण्डिया', खण्ड 93 अंक 4, अक्टूबर-दिसम्बर.
- (2017), *कुलिज ऑफ द अम्पायर; इण्डेचर्ड इण्डियंस इन द सुगर कॉलोनियल*, 1830-1920, केम्ब्रिज प्रेस, नयी दिल्ली.
- इण्डिया ऑफिस रिकॉर्ड/पी सीरीज/9778, ब्रिटिश लाइब्रेरी; गवर्नमेंट एमिग्रेशन एजेंट, बनारस टू कॉलोनियल ऑफिस, 23 जुलाई, 1914.
- एंड्रिया मेजर (2008), 'द बर्निंग ऑफ सम्पति कौर : सती ऐंड द पॉलिटिक्स ऑफ इमेरिअलिज्म, नैशनलिज्म ऐंड रिवाइवलिज्म इन 1920 इण्डिया', *जेण्डर ऐंड हिस्ट्री*, खण्ड 20, अंक 2, अगस्त.
- एम.के.गाँधी (1924/2009), *दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास*, गुजराती से अनुवाद (1924), सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली.
- (1927), *एन ऑटोबायोग्राफी, और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ*, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद.
- एस.एच. फ्रेमैंटल (1906), *रिपोर्ट ऑन द सप्लाई ऑफ लेबर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऐंड बंगाल*, लखनऊ.
- ऐनी हार्डग्रेव (2004), *कम्युनिटी ऐंड पब्लिक कल्चर : द मारवाड़ीज़ इन कलकत्ता*, ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी*, (सीडब्ल्यूएमजी), खण्ड 2, खण्ड 11.
- कुमकुम संगारी और सुदेश वैद (1989), *रिकास्टिंग वुमन : एसेज इन कॉलोनियल हिस्ट्री*, काली फॉर वुमन, नयी दिल्ली.
- क्रेन (1980), *एड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डियन रीसेस्सेड*, कोलम्बिया, साउथ एशियन बुक्स.
- कॉलोनियल सेक्रेटरी ऑफिस मिनट्स पेपर्स, 8779 /13; 6609 /14, नैशनल आर्काइव्स ऑफ फ्रीजी.
- गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, सी ऐंड आई, एमिग्रेशन, न. 30-33 अप्रैल, 1916.
- गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, कॉमर्स ऐंड इण्डस्ट्री, एमिग्रेशन, (ए) प्रोसीडिंग. 8 जुलाई, 1916; भारतीय गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन के लिए पण्डित मदन मोहन मालवीय का प्रस्ताव, 1916.
- गोण्डा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1905.
- चीफ सेक्रेटरी, यूनाइटेड प्रोविंसेज, टू कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री; 25 जुलाई 1912, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, सी ऐंड आई, एमिग्रेशन, नवम्बर 1912, (ए) प्रोसीडिंग.





जमाना, दिसम्बर, 1914; आरएनएन, यूपी, 1915, जेड.ए. जमशेद, 23 फ़रवरी, 1915; आरएनएन, 1915; लीडर, 1 जुलाई, 1915; आरएनएन, यूपी, 1915.

जॉन एल. हिल (1980), 'ए.पी. मैकडोनाल्ड एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ़ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, 1885-1905', आर.आई. जॉन डी. केली (2005), *अ पॉलिटिक्स ऑफ़ वर्च्यु: हिंदुइज़म, सेक्सुअलिटी एंड काउंटर कॉलोनियल डिस्कॉर्स इन फ़्रीजी*, द युनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो प्रेस, न्यूयार्क.

धीरा वर्मा (2000), 'फ़्रीजी के हिंदी लोकगीत : गिरमितियाओं के मौखिक दस्तावेज़', *गगनांचल*, अप्रैल-जून.

तोताराम सनाह्य (1914), *फ़्रीजी द्वीप में मेरे इक्कीस वर्ष*, भारती भवन, फ़िरोज़ाबाद, उप्र, कुंवर हनुमंत सिंह रघुवंशी द्वारा राजपूत एंग्लो ऑरिएण्टल प्रेस में मुद्रित, आगरा.

द बॉम्बे क्रॉनिकल, 29-10-1915, सीडब्ल्यूएमजी, खण्ड 15, 21 मई, 1915; 31 अगस्त, 1917.

द बॉम्बे क्रॉनिकल, 29-10-1915 साइटेड इन सी.डब्ल्यू एम.जी. खण्ड 15.

दीपेश चक्रवर्ती, 'ऑन डिफ़िनिंग एंड डिफ़िंग अथॉरिटी : मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन द जुट मिल्स ऑफ़ बंगाल सिरका 1890-1940', पास्ट एंड प्रेजेंट, नम्बर 100 [अगस्त, 1983].

परमेश्वरम पिल्लै (1896), *रिपोर्ट ऑफ़ एलेक्थ कांग्रेस, 1895*, पूना.

पार्थ चटर्जी (1993), *द नेशन एंड इट्स फ़्रैगमेंट्स : कॉलोनियल एंड पोस्टकॉलोनीअल हिस्ट्रीज़*, प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन.

पार्लियामेंट्री पेपर्स (1910), (सीडी 5192), *रिपोर्ट ऑफ़ कमेटी ऑन एमिग्रेशन फ़ॉर्म इण्डिया तो क्राउन कॉलोनीज़ एंड प्रोटेक्टोरेट्स*.

पी.पी. महापात्र (1995), 'रिस्टोरिंग द फ़ैमिली : वाइफ़ मर्डर्स एंड मेकिंग ऑफ़ अ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट फ़ॉर इण्डियन इमिग्रेंट लेबर इन ब्रिटिश कैरीबियन कॉलोनीज़, 1860-1920', *स्टडीज़ इन हिस्ट्री*, खण्ड 11, अंक 2.

प्रेम चौधरी (1987), 'सोसियो-इकॉनॉमिक डायमेंशंस ऑफ़ सर्टेन कस्टम्स एंड एटीट्यूड्स : वुमन ऑफ़ हरियाणा इन द कॉलोनियल पीरियड', खण्ड XXII, अंक 48.

प्रोसीडिंग्स ऑफ़ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, नयी दिल्ली, 1912.

प्रोसीडिंग्स ऑफ़ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, नयी दिल्ली, फ़रवरी, 1910.

फ़ेर्मेंटल, *प्रोसीडिंग्स ऑफ़ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट*, नयी दिल्ली, 1912.

बनारसी दास (1943), *अर्ध कथानक*, बॉम्बे.

बृजलाल (1985), 'कुंती ज़ेन क्राई : इण्डेंचर वुमन इन फ़्रीजी प्लांटेशन', *इण्डियन इकॉनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू*, खण्ड 22, अंक 1.

बृज वी लाल, *चलो जहाज़ी : ए जर्नी थ्रो इंडेंचर इन फ़्रीजी, फ़्रीजी म्यूज़ियम*, सूवा.

बृज वी. लाल (1980), *लीवज़ ऑफ़ बनयान ट्री : ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ़ फ़्रीजीज नार्थ इण्डिया इण्डेंचर्ड इमिग्रेंट्स 1879-1916*, ऑस्ट्रेलियन नैशनल युनिवर्सिटी, कैनबरा.

..... (2004), *गिरमितिया, द ओरिजिन ऑफ़ द फ़्रीजी इण्डियंस*, लौटका.

भिखारी ठाकुर रचनावली (2005), (सं) नागेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना.

मरीना कार्टर एंड क्रिस्पिन बेट्स (2010), 'एम्पायर एंड लोकैलिटी : अ ग्लोबल डायमेंशन टू द 1857 इण्डियन ऑपराइजिंग', *जर्नल ऑफ़ ग्लोबल हिस्ट्री*, खण्ड 5, अंक 1, मार्च.

मुकुल मुखर्जी (1983), इम्पैक्ट ऑफ़ मॉडर्नाइज़ेशन ऑन वुमंस ऑक्युपेशन : अ केस स्टडी ऑफ़ द रईस हस्किंग इंडस्ट्री ऑफ़ बंगाल, *इण्डियन इकॉनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू*, खण्ड 20 : 27-45.

मॉडल (2002), 'द एम्बलेमेटिक्स ऑफ़ जेण्डर एंड सेक्सुअलिटी इन इण्डियन नैशनलिस्ट डिस्कॉर्स', *मॉडर्न एशियाई स्टडीज़*, 36.

रिपोर्ट ऑन नेटिव न्यूज़पेपर्स (आगे से आरएनएन), यूपी, अगस्त, 1908.

रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टीथ आईएनसी, 1915 (बॉम्बे, 1916).

लक्ष्मण सिंह (1916), *कुलीप्रथा अर्थात् बीसवीं शताब्दी की गुलामी*, प्रकाशक स्वामी नारायण मिश्र, प्रताप कार्यालय, कानपुर.

शकुंतला राव (1999), 'वुमन-एज़-सिंबल : द इंटरसेक्शन ऑफ़ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जेण्डर एंड इण्डियन नैशनलिज़म', वुमंस स्टडीज़ इंटरनेशनल फोरम.



सात जून का पत्र 1915; राँची, इ.एल.एल. अहमद, सेक्रेटरी जीओबी ऐंड ओडीशा, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट टू सेक्रेटरी, जीओआई, सी ऐंड आई, एमिग्रेशन, (ए) प्रोसीडिंग, एन ओ एस 43, दिसम्बर, 1915.

स्मित सेन (1999), *वुमॅन ऐंड लेबर इन लेट कॉलोनियल इण्डिया : द बंगाल जूट इण्डस्ट्री*, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज.

सिडनी मिंटज़ (1985), *स्वीटनेस ऐंड पाँवर : द प्लेस ऑफ़ शुगर इन मॉडर्न हिस्ट्री*, पेंगुइन, न्यूयॉर्क.

सीआईडी, यूपी, 20 अप्रैल, 1915, यूपी गवर्नमेंट टू मद्रास गवर्नमेंट, मद्रास, पब्लिक ऑर्डिनरी सीरीज, जीओएन 1331, 13 सितम्बर, 1915.

सी.एफ.ऐंड्रूज़ और डब्ल्यू.डब्ल्यू. पिअरसन (1916), *रिपोर्ट ऑन इण्डेन्चर्ड लेबर इन फ़ीजी : एन इण्डिपेंडेंट इन्क्वारी*, इलाहाबाद.

सी.एफ.जोसफ़ लेलीवेल्ड (2011), *ग्रेट सोल : महात्मा गाँधी ऐंड हिज़ स्ट्रगल विद इण्डिया*, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इण्डिया, नयी दिल्ली.

सुजाता पटेल (1988), 'कंस्ट्रक्शन ऐंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ वुमॅन इन गाँधी', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीक्ली*, खण्ड 23, अंक 8, 20 फ़रवरी, 1988.

सुरुचि थॉपर (1993), 'वुमॅन एज़ एक्टिविस्ट; वुमॅन एज सिम्बल्स : अ स्टडी ऑफ़ द इण्डियन नैशनलिस्ट मूवमेंट', *फ़ेमिनिस्ट रिव्यू*, 44.

सुरेंद्र भाना (1991), *इण्डेन्चर्ड इण्डियन इमिग्रेंट्स टू नटाल, 1860-1902*, रोमिला ऐंड कम्पनी, नयी दिल्ली.

सरोजिनी नायडू का भाषण 'गिरमिट दिवस : कमेमोरेटिंग 125 इयर्स ऑफ़ गिरमितियाज़ इन फ़ीजी', नामक पुस्तिका में संकलित किया गया.

ह्यू टिंकर (1974), *अ न्यू सिस्टम ऑफ़ स्लेवरी : द एक्सपोर्ट ऑफ़ इण्डियन लेबर ओवरसीज़, 1830-1920*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन.